

लखनऊ विकास प्राधिकरण

की बैठक दिनांक 7 जुलाई 1988

की

कार्य-सूची



लखनऊ विकास प्राधिकरणा

६, जगदीश चन्द्र बोस मार्ग,
लखनऊ

विषय संख्या: ।

पृष्ठ संख्या: ।

विषय : लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक
दिनांक 9 अप्रैल, 1988 के कार्यवृत्त
का पुष्टिकरण ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक
दिनांक 9 अप्रैल, 1988 का कार्यवृत्त
पुष्टिकरण हेतु संलग्न किया जा
रहा है ।

लखानऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक
9 अप्रैल, 1988 का कार्यवृत्त
=====

उपस्थिति:

- | | | |
|----|----------------------|--|
| 1. | श्री बृजेश कुमार | अध्यक्ष, लखानऊ विकास प्राधिकरण, |
| 2. | श्री शैलेश कृष्ण | उपाध्यक्ष, लखानऊ विकास प्राधिकरण, |
| 3. | श्री शंकर अग्रवाल | संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, आवास एवं नगर विकास, |
| 4. | श्री जे०पी०भार्गव | मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक, उत्तर प्रदेश, |
| 5. | श्री आर०एम०निगम | मुख्य अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जेल निगम, |
| 6. | श्रीमती उमा त्रिपाठी | सदस्या, लखानऊ विकास प्राधिकरण, |
| 7. | श्री एम०ए०एम०खान | विशेषा आमन्त्री, लखानऊ विकास प्राधिकरण, लखानऊ। |

अन्य उपस्थिति:

श्री दिवाकर त्रिपाठी सचिव, लखानऊ विकास प्राधिकरण।

x=x=x=x=x=x=x=x=x

विषय संख्या: 1 लखानऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 3 फरवरी, 1988 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।

निर्णय : विचार विमर्श के पश्चात् विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 3 फरवरी, 1988 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

विषय संख्या: 2 लखानऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 3 फरवरी, 1988 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।

निर्णय : विचारोपरान्त अनुपालन आख्या का अवलोकन करके निर्देश दिया गया कि गत बैठकों में लिये गये निर्णयों की वे अनुपालन आख्याएँ जिनका अनुपालन अभी तक पूर्ण रूप से सुनिश्चित न किया जा सका हो अथवा जिनकी अपूर्ण अनुपालन आख्याएँ पूर्व बैठकों में प्रस्तुत की गई हों, इस प्रकार के निर्णयों की अनुपालन आख्याएँ आगामी बैठकों में प्रस्तुत की जाया करें।

समाप्त:-----

विषय संख्या: 3

लखनऊ विकास प्राधिकरण का मूल आय-
व्ययक 1988-89

निर्णय :

विस्तृत स्म से विचार विमर्श के पश्चात्
निम्नांकित संशोधनों के साथ लखनऊ
विकास प्राधिकरण का मूल आय-व्ययक बजट
वर्ष 1988-89 स्वीकृत किया गया :

भूमि अर्जन हेतु

	<u>प्रस्तावित</u>	<u>संशोधित</u>
1. शासकीय ऋण	18.80	20.00
2. संस्थागत ऋण	12.80	14.00

यह भी निर्देश दिया गया कि :

1. आगामी बैठक में नगर की विकास की मुख्य दिशा निश्चित करने हेतु एक दीर्घकालीन प्लान प्रस्तुत किया जाये ।
2. आगामी 5 वर्षों के लिये एक उससे विस्तृत प्लान प्रस्तुत किया जावे ।
3. यह प्रयास किया जाये कि आगामी तीन वर्षों में प्रतिकर का पूरा बकाया भुगतान कर दिया जाये और इस हेतु ऋण प्राप्त करने के लिये एक योजना प्रस्तुत की जाये ।

श्री भार्गव ने कहा कि लखनऊ विकास प्राधिकरण का बजट इस वर्ष बड़े ही सावधानी से विस्तृत विवरण के साथ रखा गया है जिसमें प्रत्येक योजना का विवरण उपलब्ध है । जिन अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रयास से यह बजट तैयार किया गया है वे प्रशंसा के पात्र हैं ।

विषय संख्या: 4

गोमती नगर योजना में पत्रकारों के लिये निर्माणाधीन भावनों के सम्बन्ध में सेन्टेज चार्ज न लिये जाने के सम्बन्ध में ।

निर्णय :

विचारोपरान्त प्रस्ताव स्वीकृत किया गया ।

क्रमशः—

विज्ञाप संख्या: 5

गोमती नगर योजना में प्रस्तावित इन्द्रा -
मेमोरियल के डिज़ाइन हेतु वास्तुविद के
चयन के सम्बन्ध में ।

निर्णय :

विचार विमर्श के पश्चात् निर्णय लिया गया
कि क्योंकि पहले की प्रतियोगिता में चयन
समिति ने किसी को भी प्रथम स्थान के
लिये उपयुक्त नहीं पाया था, अतः डिज़ाइन
चुनने के लिये पुनः प्रतियोगिता की जावे ।
इस हेतु निम्नांकित सदस्यों की एक समिति
गठित की गई जो नई प्रतियोगिता आयोजित
करके डिज़ाइन का चयन करेगी :

1. अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण,
2. सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, आवास
एवं नगर विकास,
3. उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण,
4. मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक, उत्तर प्रदेश,
5. श्री रहमान,
6. श्री एम0एस0एम0खान, विशेष आमन्त्री
7. श्री एम0एस0त्यागी, मुख्य नगर नियोजक,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
8. नाम प्रस्तावित किया जाना है ।

विज्ञाप संख्या: 6

आर0टी0ओ0काम्पलेक्स के सम्बन्ध में ।

निर्णय :

विज्ञाप स्थागित किया गया और निर्देश
दिया गया कि मेसर्स रेखा राजीव को पुनः
पत्र भोज दिया जाये कि शीघ्र जवाब दें ।

विज्ञाप संख्या: 7

प्राधिकरण की योजनाओं के आवासीय
झूलाण्डों पर बहुलाण्डीय भावन निर्माण
की अनुमति के सम्बन्ध में ।

निर्णय :

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि
इम्पूवमेन्ट ट्रस्ट की भूमि प्रायः छानी आवादी
में हैं । मास्टर प्लान रिवाइज़ किया जा रहा
है । ऐसी परिस्थिति में इस प्रकरण का कोई
नीति सम्बन्धी निर्णय लेना उचित नहीं है ।
यदि इनडिवीजुअल मामले में जहाँ ररिया ओपन
हो और सड़कें आदि चौड़ी हों उनपर विचार
किया जा सकता है ।

कुमारा:—

- विषय संख्या: 8 किराये के भावनों की बिक्री के सम्बन्ध में ।
निर्णय : निर्णय लिया गया कि शासन से अनुरोध किया जाये कि शासन के आदेशों के पूर्व जिन आवन्तियों ने धानराशि जमा कर दी है उन्हें भावन बिक्रय कर दिये जायें ।
- विषय संख्या: 9 स्टील अघाटों को दी गई भूमि के सम्बन्ध में पदों के किराये में छूट दिये जाने के सम्बन्ध में ।
निर्णय : विचारोपरान्त प्रस्ताव स्वीकृत किया गया ।
- विषय संख्या: 10 विकास अधिनियम के अन्तर्गत निर्माणा उपविधियों में संशोधन के सम्बन्ध में ।
निर्णय : विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि निम्नांकित सदस्यों की एक उपसमिति गठित की जाती है जो दिनांक 14-4-88 के 12.00 बजे अध्यक्ष के कक्ष में एक बैठक करेगी और अनुमोदन करके औपचारिक स्वीकृति हेतु बोर्ड की आगामी बैठक में विषय पुनः रखा जाये :-
1- अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण,
2- उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण,
3- मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक, उत्तर प्रदेश,
4- मुख्य नगर नियोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण ।
- विषय संख्या: 11 सहायक जन सम्पर्क अधिकारी के पद के सृजन के सम्बन्ध में ।
निर्णय : विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।
- विषय संख्या: 12 चौक क्षेत्र में निर्माणाधीन बहुखण्डीय भावनों के सम्बन्ध में ।
निर्णय : विचारोपरान्त प्रस्ताव स्वीकृत किया गया और यह भी निर्देश दिया गया कि श्री एम0ए0एम0खान को भी उपसमिति की सदस्य सूची में सम्मिलित कर लिया जाये और समस्या के निवारण हेतु दिनांक 14-4-88 को उपसमिति की बैठक उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण के कक्ष में कर ली जाये ।

कुमशा: —————

विषय संख्या: 13

अपर इन्डिया कूपर पेपर मिल कम्पनी लिमिटेड को विकास एवं निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में ।

निर्णय :

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि इस मामले में पूर्ण तथ्यों से अवगत कराते हुए एक पत्र शासन को अपर इन्डिया कूपर पेपर मिल के दोनों पत्रों को संलग्न करके भेज दिया जाये तथा शासन से अनुरोध किया जाये कि इस मामले में शासन स्तर पर ही निर्णय लेकर प्राधिकरण को निर्देशित किया जाये ।

ह0/-
श्रीलेशा कृष्णा
॥ श्रीलेशा कृष्णा ॥
उपाध्यक्ष

ह0/-
दिवाकर त्रिपाठी
॥ दिवाकर त्रिपाठी ॥
सचिव

अ नु मो दि त

ह0/-
बृजेश कुमार
॥ बृजेश कुमार ॥
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं
आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ ।

लखानऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक
7 जुलाई, 1988 में विचारणीय विषयों की
कार्य-सूची
=====

क्रम संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
1-	लखानऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 9 अप्रैल, 1988 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण ।	1
2-	लखानऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 9 अप्रैल, 1988 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या ।	6
3-	बीस सूत्रीय कार्यक्रम से सम्बन्धित प्रगति आख्या ।	11
4-	भूखण्ड सं:424 टी0जी0न्यु सिविल लाइन्स पर बहुखण्डीय आवासीय भावन की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।	12
5-	डा0 ज्ञानेन्द्र वर्मा, संचालक {अर्जन} का कार्यकाल बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में ।	15
6-	ल0वि0प्रा0 की योजनाओं हेतु हस्तान्तरित नजूल भूमि के मूल्य निर्धारण के सम्बन्ध में ।	16
7-	प्राधिकरण की योजनाओं हेतु एक बुलडोजर क्रय के सम्बन्ध में ।	17
8-	श्री एस0 मजूमदार, विद्युत सलाहकार की कार्य अवधि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में ।	19
9-	उ0प्र0नगर योजना एवं विकास अधिनियम के अर्न्तगत नियम उप-विधायों में संशोधन के सम्बन्ध में ।	20
10-	श्रीमद् दयानन्द बाल सदन को लीज की गई भूमि में लीज की शर्तों में शिथिलता के सम्बन्ध में ।	21
11-	इन्डियन इन्स्टीट्यूट आफ मैनेजमेन्ट को आवन्तित भूमि के भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में ।	22
12-	श्री के0एल0शुक्ला को विद्यमान आवासीय प्रयोग के विस्तार एवं परिवर्धन की अनुमति के सम्बन्ध में ।	23
13-	सीतापुर रोड योजना के सेक्टर "ए", एफ के निकट 213 ई0डब्लू0एस0, 23 एम0आई0जी0, तथा 16 एच0आई0जी0 भावनों के निर्माण के सम्बन्ध में ।	24
14-	तकनीकी शिक्षा संस्थान को आवन्तित भूमि पर टोकेन लीजरेन्ट लिये जाने के सम्बन्ध में ।	26

- 15- प्रभारी अधिकारी भवन खण्ड को शमन सम्बन्धी कार्यवाही हेतु उ०प्र०नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-32 के अन्तर्गत शक्तियों का प्रतिनिधायन । 28
- 16- मेसर्स मोटर लेल्स लि०, 11- महात्मागान्धी मार्ग, लखनऊ द्वारा अपने वर्तमान भवन में परिर्पतन हेतु दिये गये मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में । 29
- 17- अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य कोई विषय ।

x=x=x=x=x=x=x=x

विषय संख्या: 2

पृष्ठ संख्या: 6

विषय : लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 9 अप्रैल, 1988 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या ।

क्रम संख्या	विषय	निर्णय	अनुपालन आख्या	अनुपालन
1.	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 3 फरवरी 1988 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण ।	कार्यवृत्त की पुष्टि की गई ।	नोट किया गया ।	पूर्ण
2.	ल0वि0प्रा0 की बैठक दिनांक 3 फरवरी, 88 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या ।	अनुपालन आख्या के अवलोकनोपरान्त निर्देश दिये गये कि गत बैठकों में लिये गये निर्णयों की वे अनुपालन आख्याएँ जिनका अनुपालन अभी तक पूर्ण रूप से सुनिश्चित न किया जा सका हो, उनकी अनुपालन आख्याएँ आगामी बैठकों में प्रस्तुत की जायें ।	निर्णयानुसार तीन वक्तों में हुई बैठकों में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्याएँ प्रस्तुत की जा रही हैं ।	पूर्ण

1	2	3	4	5
3.	लखानऊ विकास प्राधिकरण का मूल आय-व्ययक 1988-89	कुछ संशोधनों के साथ बजट स्वीकृत किया गया।	बजट के अनुसार ही कार्यवाही की जा रही है।	पूर्ण
4.	गो०न०यो० में पत्रकारों के लिये निर्मित भावनों में सेन्टेज चार्जेज न लिये जाने के सम्बन्ध में।	विचारोपरान्त प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।	निर्णयानुसार अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।	पूर्ण
5.	गो०न०यो० में प्रस्तावित इन्द्रा भेमोरियल के डिजाइन हेतु वास्तुविद् के चयन के सम्बन्ध में।	चयन हेतु एक उपसमिति गठित की गई।	प्राधिकरण द्वारा लिये गये निर्णय पर शासन का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु पत्र भोज दिया गया है। शासन के अनुमोदन के पश्चात् ही डिजाइन चयन सम्भाव होगा।	अपूर्ण
6.	आर०टी०ओ०कम्प्लेक्स के सम्बन्ध में।	विषय स्थागित किया गया तथा मे०रेखा-राजीव को पत्र लिखाने के निर्देश दिये गये।		अपूर्ण

1	2	3	4	5
7.	प्राधिकरण की योजनाओं के आवासीय भूखण्डों पर बहुखण्डीय भावन निर्मित करने की अनुमति के सम्बन्ध में ।	निर्णय लिया गया कि कोई नीति सम्बन्धी निर्णय लेना उचित नहीं है । यदि इन्डिविजुअल मामले में जहाँ एरिया ओपन हो और सड़के आदि चौड़ी हो उनपर विचार किया जा सकता है।	निर्णयानुसार परीक्षणोपरान्त पुनः विधाय प्रस्तुत किया जा रहा है ।	अ-पूर्ण
8.	किराये की भावनों की बिक्री के सम्बन्ध में ।	निर्णय लिया गया कि शासन से अनुरोध किया जाये कि शासन के आदेशों के पूर्व जिन आवन्तियों ने धानराशि जमा कर दी है उन्हें भावन बिक्रय कर दिये जायें ।	निर्णयानुसार शासन को पत्र संख्या: 518/रेन्ट दिनोंक 25-6-1988 प्रेषित कर दिया गया ।	पूर्ण
9.	स्टील अथार्टी को दी गई भूमि के पट्टे के किराये में छूट के सम्बन्ध में ।	प्रस्ताव स्वीकृत किया गया ।	पक्षा को पत्र संख्या: 940/सीए/पीए/सेल 2-5-88 द्वारा सूचित कर दिया गया।	पूर्ण

क्रमशः-----

1	2	3	4	5
10.	विकास अधिनियम के अन्तर्गत निर्माण उपविधायों में संशोधन के सम्बन्ध में ।	इस सम्बन्ध में परीक्षा हेतु एक उपसमिति गठित की गई ।	उपसमिति की गई बैठकें हो चुकी हैं । अध्यक्ष महोदय ही उपसमिति के अध्यक्ष हैं । उपसमिति द्वारा अन्तिम स्मृति दिया जा रहा है, तदुपरान्त शासन को अधिसूचना जारी करने हेतु भोजा जायेगा ।	अपूर्ण
11.	सहायक जनसम्पर्क अधिकारी के पद के सृजन के सम्बन्ध में ।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।	शासन के अनुमोदन हेतु पत्र संख्या: 165/साओपू० दिनांक 6 मई, 88 भोज दिया गया । शासन से स्वीकृति अभी प्राप्त नहीं हुई है ।	पूर्ण
12.	चौक क्षेत्र में निर्माणाधीन बहुखाण्डी भावनों के सम्बन्ध में ।	प्रस्ताव स्वीकृत किया गया एक उपसमिति गठित की गई ।	जिन बिल्डरों ने नीलामी में भाग ले लिया है और निर्माण कार्य किया जा रहा है, उनसे विस्तृत मानचित्र मागे गये हैं जो प्राप्त भी हो गये हैं, इन्हें शीघ्र ही उपसमिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा ।	अपूर्ण

1	1	2	3	4	5
13.	अपर इन्डिया कूपर पेपर मिल कम्पनी लि० को विकास एवं निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में ।	निर्णय लिया गया कि पूर्ण तथ्यों से अवगत कराते हुए एक पत्र शासन को, पेपरमिल के दोनों पत्रों को संलग्न करते हुए निर्णय हेतु भोज दिया जाये ।	निर्णयानुसार शासन को पत्र संख्या:एलडीए/ए०सी०/३२२, दिनांक २२-६-८८ प्रेषित कर दिया गया है ।	पूर्ण	

विषय संख्या: 3

पृष्ठ संख्या: 11

विषय : बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत सूत्र संख्या: 15 की प्रगति आख्या
माह मई, 1988 ।

क्रम सं०	योजना का नाम	वर्ष 88-89 के लिये लक्ष्य	पिछले माह के अन्त तक की उपलब्धि	माह की उपलब्धि	क्रमांक उप-लब्धि	डिवीज़न का नाम	अधिकारी का नाम	उपलब्धि मई, 1988 तक
1.	आर्थिक दृष्टि से दुर्बल आय वर्ग/ताइट रेण्ड सर्विसेज़	1500	272	-	272	खाण्ड-9	श्री सादिक अली सिद्दीकी	राधाग्राम योजना 45 मीरतकी मीर योजना 15 भवानी आ० योजना 59 आजाद नगर योजना 100 तीतापुर रोड यो० सेक्टर ए, बी एवं एफ 53
								272
2.	अल्प आय वर्ग	1000	30		30	खाण्ड-1	श्री आर०पी० शुक्ला	कानपुर रोड यो० सेक्टर {एल} 25
						खाण्ड-6	श्री सोहन लाल	टिकैतराय आ० यो० 5
								30

विषय : भूखण्ड संख्या: 424 टी0जी0न्यु सिविल लाइन्स पर बहुखण्डीय आवासीय भवन की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

लखनऊ इम्पूवमेन्ट ट्रस्ट की टी0जी0न्यु सिविल लाइन्स पुरानी योजना है जो वर्तमान समय में लखनऊ विकास प्राधिकरण के स्वामित्व एवं प्रबन्ध में है । इसमें भूखण्ड संख्या: 424 क्षेत्रफल बी01-12-1-17 का पट्टा वर्तमान समय में श्री रवीन्द्र नाथ पुरी व अन्य के नाम से चल रहा है । पट्टेदारों ने इस भूमि पर बहुखण्डीय आवासीय भवन की स्वीकृति हेतु भवन चित्र प्रस्तुत किया था जिसे नीति निर्धारण हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 9-4-88 में प्रस्तुत किया गया था जिसमें निम्न निर्णय हुआ था :

"" इम्पूवमेन्ट ट्रस्ट की भूमि प्रायः घानी आबादी में है । मास्टर प्लान रिवाइज़ किया जा रहा है । ऐसी परिस्थिति में इस प्रकरण का कोई नीति सम्बन्धी निर्णय लेना उचित नहीं है । यदि इण्डीविजुअल मामले में जहाँ एरिया ओपेन हो और सड़के आदि चौड़ी हों उनपर विचार किया जा सकता है ""

अनुपालन में प्रश्नगत भूखण्ड की स्थल जाँच करके मुख्य नगर नियोजक ने यह आख्या दिया है कि " यह भूखण्ड गोमती के बायें तटबन्धा के समीप निशातगंज की ओर स्थित है । भूखण्ड के पूर्व में 40 फुट चौड़ी सड़क है जो बन्धो रोड पर मिलती है तथा भूखण्ड के दक्षिण में भी एक सड़क है जो बन्धो की सड़क के नीचे सर्विस रोड की तरह प्रयोग की जाती है । उत्तर में 3,4 मजिले भवन बने हैं । दक्षिण की ओर बन्धा और नदी स्थित होने के कारण काफी खुला वातावरण है । इस भूखण्ड पर यदि ग्रुप हाउसिंग की योजना बनाई जाती है तो नियोजन की दृष्टि से कोई आपत्ति नहीं होगी किन्तु आस-पास के रहने वालों की प्राइवैसी को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाये "।

इस प्रकार इस भूखण्ड पर नियोजन की दृष्टि से बहुखण्डीय आवासीय भवन की स्वीकृति दी जा सकती है । भवन की तकनीकी जाँच भवन विभाग द्वारा कर ली जायेगी । नज़ूल सम्पत्ति के समान प्रकार के मामलों पर सैलन शासनादेश के अनुस्यू कार्यवाही की जाती है ।

विभागीय अनुशोसा :

कृपया प्रश्नगत मामले में विचार करके बहुखण्डीय आवासीय भवन के निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान कर दी जाये ।

अतः विषय प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।

शासनादेश संख्या 270/9-नजूल-87-485एन/86, दिनांक 22 जनवरी, 1987
की प्रतिलिपि

विषय :- नजूल भूमि पर बहुमंजिला भवन बनाये जाने के सम्बन्ध में।
महोदय,

शासनादेश संख्या 6422/4/9-नजूल-485एन/86, दिनांक 16 अक्टूबर, 1986 में नजूल भूमि के पट्टों के अन्तर्गत नये भवनों के निर्माण हेतु मार्ग निर्देशक सिद्धान्त निर्धारित किये गये थे। इसके अनुसार जहाँ पट्टे की अवधि 15 वर्ष से अधिक की शेष है वहाँ भवन निर्माण मानचित्र स्वीकृत किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होगी, परन्तु जहाँ यह अवधि 15 वर्ष से कम की शेष है वहाँ भवन निर्माण का मानचित्र तभी स्वीकृत किये जायेंगे जब पट्टेदार निर्माण हेतु प्रस्तावित स्थल का पट्टाधिकार समर्पित करके उसका नया पट्टा प्राप्त करें। उपरोक्त आदेशों के परिप्रेक्ष्य में कतिपय जिलाधिकारियों द्वारा कुछ शंकायें उठाई गई हैं। अतः मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासनादेश दिनांक 16 अक्टूबर, 1986 में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार नजूल भूमि पर बहुखण्डी भवन निर्मित किये जाने में शासन को कोई आपत्ति नहीं है। बशर्ते कि पट्टे की अवधि 15 वर्ष से अधिक की शेष हो और भवन निर्माण सम्बन्धी नियमों के अनुसार प्रस्तावित भवन का निर्माण अनुमन्य हो।

सामान्यतः नजूल भूमि के आवासीय पट्टे पट्टेदार के निजी प्रयोग हेतु दिये जाते हैं बहुखण्डी आवासीय भवनों के निर्माण के पश्चात् पट्टेदार या तो ऐसे भवनों के फलैट्स विक्रय करेंगे या उसे किराये पर उठावेंगे। इस प्रकार उनकी स्थिति एक प्रकार से पट्टेदार की न होकर पूंजी निर्देशक की ही जायेगी क्योंकि भूमि का वास्तविक

क्रमशः.....

उपयोग क्रेता या पट्टेदार द्वारा किया जायेगा। यू०पी० ओनरसिप आफ फ्लैट्स एक्ट के अनुसार जिस भूमि पर बहुखण्डी भवन बनाये जाते हैं और फ्लैट्स का विक्रय किया जाता है वहाँ भूमि का स्वामित्व सामूहिक रूप से फ्लैट्स मालिकों का होता है। वर्णित परिस्थिति में मुझे आपको यह स्पष्ट किये जाने का निर्देश हुआ है कि विक्रय की स्थिति में फ्लैट्स मालिकों के बीच नजूल के वार्षिक किराये का अनुमालिक रूप से बंटवारा करके नजूल के किराये की वसूली की जाय।

कृपया पत्र की प्राप्ति स्वीकार करें।

विकास प्राधिकरण के विचारार्थ आख्या

डा० ज्ञानेन्द्र वर्मा अवकाश प्राप्त पी.सी.एस. संवर्ग के अधिकारी हैं जिन्हें लखनऊ विकास प्राधिकरण में संचालक अर्जन के पद पर एक वर्ष के लिए बोर्ड के निर्णय प्रस्ताव संख्या 22 दिनांक: 19.10.88 द्वारा नियुक्त किया गया था।

डा० ज्ञानेन्द्र वर्मा को भूमि अध्याप्त का विशेष ज्ञान है तथा प्राधिकरण के हित में कार्य सम्पादित करने की अभूतपूर्व क्षमता है जिससे लखनऊ विकास प्राधिकरण को कई करोड़ रुपये की सम्भावित हानि से बचाया जा सका है। डा० वर्मा की विशेष सूझ-बूझ अगाध विषय ज्ञान एवं कर्तव्य निष्ठा के कारण कानपुर रेह योजना भाग- 4 एवं टिम्बर नगर योजना जो लेप्स होने की स्थिति में पहुँच गई थी वह बचाई जा सकी और इन दोनों योजनाओं अभिनिर्णीत न होती तो पुनः अर्जन करने में कम से कम 10 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार प्राधिकरण पर पड़े के साथ-साथ प्राधिकरण को अनेकानेक वादों में अपने हितों की रक्षार्थ माननीय उच्च तथा उच्चतम न्यायालय तक लड़ना पड़ता जित स्थिति से प्राधिकरण बच गया है।

अर्जन के अनेको मामलों में डा० वर्मा अपनी सूझ-बूझ से प्राधिकरण के हित में सुलझाने की विशेष क्षमता रखते हैं।

भूमि अध्याप्त शीघ्र में पिछले 15 वर्षों में लगभग 47 करोड़ रुपये की धनराशि का समायोजन न होने से विषम आडिट आपत्तियाँ पड़ी थी। डा० वर्मा ने समायोजन की कार्यवाही से अब तक इस कार्य में 12 करोड़ की धनराशि ट्रेजरी के बाउचरों से सत्यापित करा लिया है और अवशेष धनराशि को समायोजित कराने का दुरुह एवं कठिन कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त इन सभी धनराशियों के समक्ष प्राप्त सम्पत्तियों का स्थायी अभिलेख भी तैयार कराकर प्राधिकरण की सम्पत्ति की सुरक्षा का प्रबन्ध सुचारु रूप से कर रहे हैं।

अर्जन विभाग से संबंधित लगभग एक हजार वादों को भी सुनियोजित रूप से समीक्षा करने के उपरान्त अब तक एक सौ से अधिक वादों में प्राधिकरण के हितार्थ निस्तारण कराने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं।

प्राधिकरण को भूमि अर्जन के संबंध में प्रतिकर धनराशि शीघ्र भुगतान हेतु हडको तथा बैंकों से ऋण उपलब्ध कराने में इनका अभूतपूर्व योगदान हो रहा है।

उपरोक्त कारणों से लखनऊ विकास प्राधिकरण को सम्पत्ति डा० ज्ञानेन्द्र वर्मा की सेवाओं की नितान्त आवश्यकता है। वर्णित परिस्थितियों में प्राधिकरण के समक्ष यह प्रस्ताव इस संस्तुति के साथ प्रस्तुत है कि प्राधिकरण कृपया डा० ज्ञानेन्द्र वर्मा की सेवाओं की निरन्तरता पर दो वर्ष के लिये कार्यरत रहने की स्वीकृति वर्तमान शर्तों पर प्रदान करने की कृपा करें।

प्राधिकरण के समक्ष प्रस्ताव स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।

विषय : लखनऊ विकास प्राधिकरण को अपनी योजनाओं हेतु हस्तान्तरित नज़ूल भूमि के मूल्य निर्धारण के सम्बन्ध में ।

नज़ूल भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण को योजनाबद्ध विकास हेतु समय-समय पर स्थानान्तरित की जाती है। स्थानान्तरित करते समय यह आवश्यक है कि विकास प्राधिकरण नज़ूल को बाजार मूल्य पर ज़मीन का भुगतान करेगा । बाजार मूल्य निर्धारित करने में यह विवाद उत्पन्न होता है कि इसमें जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट जो फिक्स स्टैम्प डि्यूटी एवेज़न रोकने के लिये किया जाता है, वह लगाया जाता है । परन्तु जिलाधिकारी द्वारा जो सर्किल रेट तय किया जाता है वह बाज़ार मूल्य का आधार नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि भूमि का स्थानान्तरण अविकसित दशा में किया जाता है और उसमें पूर्ण विकास व्यय करने के पश्चात् उसका डिस्पोज़ल हो जाता है । जिस प्रकार लैण्ड एक्ज़्यूज़ीशन ऐक्ट में काश्तकारों की भूमि अधिग्रहण करते समय मुआवज़ा देने के लिये बाज़ार मूल्य निर्धारित किया जाता है उसी प्रकार नज़ूल भूमि का भी बाजार मूल्य निर्धारित होना चाहिये । इस प्रकार की प्रक्रिया लागू कर दी गई है । यह लखनऊ विकास प्राधिकरण के सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।

विषय : लखनऊ विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत मिट्टी कटाई भाराई एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्य हेतु एक डी-80 ए-12 बुलडोजर क्रय की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 3 फरवरी, 1988 के विषय संख्या: 9 में उपरोक्त विषय विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया था जिसपर प्राधिकरण द्वारा निम्नांकित जानकारीयों उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये थे :-

- 1- प्राधिकरण में इस समय कितने बुलडोजर कार्यरत हैं ?
- 2- इस समय वर्कलोड कितना है ?
- 3- ठेकेदार से कार्य कराने में कान्ट्रैक्टुअल की दरें कितनी आती हैं ?
- 4- बुलडोजर से कार्य कराने में क्या दर आती है ?
- 5- वर्तमान बुलडोजरों से प्रतिदिन कितने घान्टे कार्य लिया गया है ?
- 6- एक वर्ष में एक बुलडोजर से कितना कार्य लिया जाता है ?
- 7- केवल स्पेसिफिक माडल क्रय करने का प्रस्ताव न रखा जाये ।

उपरोक्त के सम्बन्ध में बिन्दुवार आख्या निम्नवत् है :-

- 1- प्राधिकरण में इस समय डी-50 ए-15 बी0ई0एम0एल0 के तीन बुलडोजर कार्यरत हैं जिसमें से एक का क्रय वर्ष 1977 में तथा दो का क्रय वर्ष 1983 में किया गया था ।
- 2- वर्तमान में प्राधिकरण द्वारा गोमती नगर योजना, रायबरेली रोड योजना, सीतापुर रोड योजना एवं हरदोई रोड योजना में अनुमानतः दो से तीन करोड़ रुपये या 25 से 30 लाख घान मीटर की मिट्टी कटायी/भाराई का कार्य किया जाना है । जो आवश्यकतानुसार घट-बढ़ सकता है । इसके अतिरिक्त प्राधिकरण में बुलडोजरों का प्रयोग विभिन्न प्रकार के भवनों को गिराने आदि के कार्य में भी किया जाता है ।
- 3- सार्वजनिक निर्माण विभाग के डिप्टी 1988 के अनुसार मिट्टी कटाई एवं भाराई के कार्य हेतु रु 10.50 प्रति घान मीटर है ।
- 4- बुलडोजर से उत्ती स्थल पर मिट्टी की कटाई तथा भाराई के कार्य हेतु व्यय लगभग 1.70 रुपये प्रति घान मीटर आता है ।
- 5/6- प्रतिदिन लगभग 8 घान्टे बुलडोजर कार्य करता है । इस प्रकार वर्ष भर में लगभग 1800 से 1900 घान्टे बुलडोजर से कार्य लिया जाता है । अगर बुलडोजर से केवल मिट्टी कटाई-या-भाराई का कार्य लिया जाये तो एक बुलडोजर से कुल 1,15,000.00 घान मी0 कटाई एवं भाराई का कार्य किया जा सकता है । उक्त समय में प्राधिकरण द्वारा विभिन्न प्रकार के अतिक्रमण तथा भवनों को गिराने का भी कार्य लिया जाता है । सामान्यतः प्रतिवर्ष बुलडोजरों से

लगभग 300 से 500 घान्टे का कार्य डिमालिमान वर्क पर लिया जाता है। सम्बन्धित फर्मों द्वारा प्रति बुलडोज़र प्रतिवर्ष लगभग 2000 घान्टे प्रतिवर्ष कार्य करने का प्राविधान है।

- 7- इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि हिन्दुस्तान मोटर्स लि०, मेसर्स भारत अर्थ मूवर्स लि० द्वारा ही 80 से 500 एच०पी० बुलडोज़र का निर्माण किया जाता है तथा मे० हिन्दुस्तान मोटर्स लि० द्वारा 300 एच०पी० से अधिक क्षमता के ही बुलडोज़र का निर्माण किया जाता है। जबकि भारत अर्थ मूवर्स लि० द्वारा उससे कम क्षमता के बुलडोज़र का निर्माण भी किया जाता है। मेसर्स भारत अर्थ मूवर्स लि० द्वारा विभिन्न प्रकार के बनाये जाने वाले बुलडोज़रों की कार्यक्षमता तथा उनके मूल्य को दृष्टिगत करते हुए, प्राधिकरण के कार्यों के लिये भारत अर्थ मूवर्स लि० के डी-80 ए-12 माडल बुलडोज़र के क्रय का प्रस्ताव किया गया था।

प्राधिकरण की विभिन्न आवासीय योजनायें जो कि शहर के चारों ओर फैली हुई हैं, संख्या कम होने के कारण एक योजना से दूसरी योजना में बार-बार भोजा जाता है जिसके फलस्वरूप शहर की आन्तरिक सड़कों की क्षति तो होती ही है, योजनाओं के विकास कार्य में अनावश्यक रूप से विलम्ब होता है। इस प्रकार विलम्ब के फलस्वरूप प्राधिकरण की विभिन्न प्रकार से आर्थिक क्षति भी होती है।

मेसर्स भारत अर्थ मूवर्स लि० द्वारा अपने पत्र दिनांक 8 जून, 1988 द्वारा यह अवगत कराया गया है कि पूर्व प्रसारित बुलडोज़र का मूल्य इस समय ₹ 22, 22, 000/- ₹ कर अतिरिक्त हो गया है।

विभागीय अनुज्ञा : प्राधिकरण के मिट्टी के कार्यों के लिये एक बुलडोज़र क्रय हेतु ₹ 22, 22, 000/- तथा कर अतिरिक्त की स्वीकृति प्रदान कर दी जाये।

अतः विषय प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

विषय : विद्युत कार्य सलाहकार श्री एस० मजूमदार का सेवा काल एवं वेतन वृद्धि के सम्बन्ध में ।

=====

प्राधिकरण द्वारा श्री एस० मजूमदार को विद्युत सम्बन्धी कार्यों में तकनीकी परामर्शदाता के रूप में दिनांक 31 जनवरी, 1986 से ₹० 1500/- प्रतिमाह की दर से इंगेज किया गया था । प्राधिकरण की बैठक दिनांक 24 सितम्बर, 1987 द्वारा इनका कार्यकाल 22 जुलाई, 1988 तक बढ़ाया गया था ।

पूर्व में श्री मजूमदार द्वारा मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के विभिन्न कार्यालयों से सामन्जस्य स्थापित करने एवं प्राधिकरण के कार्यों में तकनीकी सहयोग देने का कार्य किया जाता था ।

वर्तमान में विद्युतीकरण के कार्यों में प्रभावी प्रशासनिक सुधार करने के उद्देश्य से श्री मजूमदार को विद्युतीकरण कार्यों के व्ययानुमान एवं निविदाएँ जाँच करने का दायित्व भी सौंपा गया है । श्री मजूमदार द्वारा प्राधिकरण के विभिन्न विद्युतीकरण के कार्यों एवं विद्युतीकरण हेतु शहर की वृहत प्लानिंग में बहुत अच्छा सहयोग दिया जा रहा है, जिससे विद्युतीकरण के पिछले कार्य वर्तमान स्थिति में अधिक प्रभावी ढंग से किये जा रहे हैं ।

विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 1986 में लिये गये निर्णयों के क्रम में श्री मजूमदार को प्रतिमाह ₹० 1500/- देय होते हैं, परन्तु श्री मजूमदार द्वारा अपने पत्र दिनांक 27-6-1988 द्वारा अनुरोध किया गया है कि उनके मासिक देय में वृद्धि की जाये ।

वर्तमान में श्री मजूमदार के बढ़े हुए दायित्वों को दृष्टिगत रखाते हुए तथा उनके द्वारा प्राधिकरण में किये जाने वाले कार्यों एवं राज्य विद्युत परिषद से कुशल सामान्जस्य स्थापित करने तथा प्राधिकरण की नई बनने वाली कालोनियों में विद्युतीकरण कार्यों के कार्यान्वयन हेतु श्री मजूमदार का प्राधिकरण में अगले एक वर्ष के लिये कार्य काल बढ़ाने की आवश्यकता है ।

विभागीय अनुशंसा : श्री एस० मजूमदार को विद्युतीकरण के कार्यों के तकनीकी परामर्शदाता के रूप में दिनांक 23 जुलाई, 1988 से कम एक वर्ष की अवधि के लिये ₹० 2000/- प्रतिमाह पर स्वीकृति प्रदान कर दी जाये ।

अतः विषय प्राधिकरण के निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।

विषय: उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास
अधिनियम के अन्तर्गत नियम उप-विधायों
में संशोधन के सम्बन्ध में ।

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम में प्रदत्त अधिकारों के अनुसार लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा उप-नियम बनाने हेतु उप-नियमों का एक प्रारूप इस आशय से प्रेषित किया गया था कि लखनऊ विकास प्राधिकरण इस प्रस्तावित उप-नियमों में यदि चाहें तो संशोधनों को करते हुए अपनाएँ § एडाप्ट § की कार्यवाही करें । इस सम्बन्ध में प्राधिकरण की विगत बैठक में एक प्रस्ताव रखा गया था एवं यह निर्णय लिया गया था कि इन नियमों को अंगीकृत करने में एक उपसमिति गठित की गई और उप-समिति, अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में बैठक करके प्रस्तावित उप-नियमों को अन्तिम रूप प्रदान करें । उप-समिति के सदस्यों की इस विषय में अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण के कक्षा में कई बैठकें आहूत की गईं एवं लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित उप-नियमों को अन्तिम रूप प्रदान कर दिया गया है । इन उप-नियमों को लागू करने की अनुमति वाञ्छित है ।

अतः विषय प्राधिकरण के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।

विषय : श्रीमद दयानन्द बाल सदन, मोती नगर द्वारा प्रस्तावित वर्किंग वीमेन हास्टल के प्रस्ताव पर उनको लीज़ की गयी भूमि में लीज़ की शर्तों में शिथिलता ।

लखानऊ इम्पूवमेन्ट ट्रस्ट द्वारा श्रीमद दयानन्द बाल सदन को मोती नगर में 24 बीघा, 8 बिस्वा, 6 बिस्वाँसी, 5 कचवाँसी भूमि लीज़ पर इन्हे अनाथालय सम्बन्धी उपयोगों हेतु दी गयी थी और उन्हे यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह इस भूमि का उपयोग इस प्रकार से कर सकते हैं कि जितने अनाथालय को चलाया जा सके । प्रसंगित भूमि पर सम्बन्धित ट्रस्ट द्वारा एक वर्किंग वीमेन हास्टल को बनाने का प्रस्ताव दिया गया है जिसके मानचित्र पर तकनीकी रूप से कोई विशेष आपत्ति नहीं है किन्तु चूंकि लीज़ लखानऊ इम्पूवमेन्ट ट्रस्ट द्वारा अनाथालय एवं उत्तरे सम्बन्धित उपयोगों हेतु दी गयी है । अतः प्राधिकरण सम्बन्धित भूमि के वर्तमान प्रस्ताव हेतु वर्किंग वीमेन हास्टल के निर्माण की अनुमति देने की संस्तुति की जाती है ।

विषय : इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ मैनेजमेन्ट को शासन द्वारा इस संस्थान के भवन निर्माण हेतु आवंटित भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में ।

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा केन्द्रीय सरकार का एक संस्थान "इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ मैनेजमेन्ट" को उनके संस्थान के भवन निर्माण हेतु ग्राम- मुबारकपुर, परगना-महोना, जिला- लखनऊ के अन्तर्गत आवंटित भूखण्ड का भू-उपयोग वर्तमान में लखनऊ महायोजना के प्राविधानों के अनुसार कृषि क्षेत्र के प्रयोग में है जबकि इस संस्थान द्वारा उत्तर प्रदेश शासन से आवंटित भूमि पर इस संस्थान के प्रशासनिक एवं शैक्षणिक संस्थान के निर्माण हेतु एक आवेदन लखनऊ विकास प्राधिकरण में किया गया है । प्रसंगित भूमि का भू-प्रयोग मानचित्र में प्रस्तावित भू-प्रयोग के विपरीत होने के कारण मानचित्र पर स्वीकृति दिषा जाना सम्भव नहीं हो सका था । इस हेतु भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने के लिये पक्ष द्वारा आवेदन किया गया है ।

प्रसंगित भूमि लखनऊ सीतापुर रोड के बारहवें किलोमीटर से बाईं तरफ जाने पर आबादी मुबारकपुर के पास है और चारों तरफ कृषि क्षेत्रों से घिरी हुई है । भूमि की स्थिति इस प्रकार से है कि वह लखनऊ नगर महापालिका की सीमा से बाहर है किन्तु लखनऊ महायोजना की सीमा के अन्दर है तथा क्षेत्र के आस-पास विकास सम्बन्धी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है और न ही क्षेत्र के आस-पास कोई विशेष आबादी या बस्ती ही है । प्रसंगित भूमि का भू-उपयोग कृषि क्षेत्र प्रशासनिक एवं शैक्षणिक संस्थाओं हेतु परिवर्तन के प्रस्ताव पर प्राधिकरण विचार करना चाहें ।

विषय : श्री के०एल०शुक्ला को 8 लक्ष्मी बाई मार्ग, लखानऊ पर उत्तर प्रदेश निर्माण कार्य विनियमन निदेश, 1960 के निदेश सं०: 12 ख के अन्तर्गत प्राधिकरण विद्यमान आवासीय प्रयोग के विस्तार एवं परिवर्धन की अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में ।

श्री के० एल० शुक्ला ने 8 रानी लक्ष्मी बाई मार्ग, लखानऊ में कुछ अनधिकृत निर्माण किया जिसे सक्षम अधिकारी द्वारा 21-5-84 को शामनित कर दिया गया । श्री के०एल०शुक्ला ने 1279 रु० शामन शुल्क 226 रु० मलवा संयय शुल्क चालान संख्या: 343/25 दिनांक 5-8-86 द्वारा जमा कर दिये गये हैं । उक्त भूखण्ड के एक भाग पर श्री सुशील चन्द्र शुक्ला तथा श्री एस०एन०शुक्ला का मानचित्र परमिट संख्या: 182 इ दिनांक 30-5-85 द्वारा आवासीय उपयोग हेतु स्वीकृत हो चुका है ।

महायोजना के अनुसार उक्त भूखण्ड का भू-उपयोग कार्यालय था किन्तु वह महायोजना के लागू होने से पूर्व से आवासीय उपयोग में आ रहा था। अतः उक्त मानचित्र को स्वीकृत करने से पूर्व उत्तर प्रदेश निर्माण कार्य विनियमन निदेश, 1960 के निदेश संख्या: 12 ख के अन्तर्गत 26-2-86 को छूट प्राप्त की गई थी। परिक्षेत्रीय विकास योजना में, जो 29-6-86 से प्रभावी हुई है, उक्त भूखण्ड का उपयोग ऐतिहासिक स्मारक है । इस भूखण्ड पर श्री के०एल०शुक्ला का शामन मानचित्र स्वीकृत करने से पूर्व उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा- 59 6 ड के साथ पठित उत्तर प्रदेश निर्माण कार्य विनियमन निदेश, 1960 के निदेश संख्या: 12 ख के अन्तर्गत प्राधिकरण की अनुमति की आवश्यकता है ।

अतः यह प्रस्ताव है कि श्री के०एल०शुक्ला को 8 लक्ष्मी-बाई मार्ग, लखानऊ पर उत्तर प्रदेश निर्माण कार्य विनियमन निदेश, 1960 के निदेश सं०: 12 ख के अन्तर्गत प्राधिकरण विद्यमान आवासीय प्रयोग के विस्तार एवं परिवर्धन की अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें ।

विषय : सीतापुर रोड योजना के सेक्टर "ए" तथा इन्जीनियरिंग कालेज के पीछे सेक्टर "एफ" के निकट 213 ई0डब्लू0एस0, 23 एम0आई0जी0 तथा 16 एच0आई0जी0 भावनों का निर्माण कार्य ।

X=X=X=X=X=X

सीतापुर रोड योजना के सेक्टर "ए" एवं इन्जीनियरिंग कालेज के पीछे सेक्टर "एफ" के निकट 213 ई0डब्लू0एस0 भावनों का निर्माण बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत किया जाना प्रस्तावित है । यह भवन हडको की आर्थिक सहायता से वित्त पोषित किये जायेंगे । ई0डब्लू0एस0 भावनों का विवरण निम्न प्रकार है :-

1-	सम्पूर्ण भूखण्ड का क्षेत्रफल	36.75 वर्गमीटर
2-	निर्मित क्षेत्रफल	13.68 वर्गमीटर
3-	एक कमरा ॥निर्मित॥ बिना फर्श के एवं केवल एक दरवाजा	3.27×2.40 मीटर
4-	बाथरूम ॥निर्मित॥ फर्श के साथ	1.00×1.00 मीटर
5-	शौचालय ॥निर्मित॥ फर्श के साथ	1.00×0.90 मीटर
6-	बिजली एवं सेनेट्री की व्यवस्था	है ।
7-	अनुमानित बिक्रय मूल्य	₹ 15,000/-

चूंकि हडको ने सीलिंग कास्ट ₹ 15,000/- निर्धारित की है अतः उपरोक्त भावनों का बिक्रय मूल्य ₹ 15,000/- तक की सीमा में निर्धारित किया जायेगा ।

इसी योजना के अन्तर्गत इन्जीनियरिंग कालेज के पीछे सेक्टर "एफ" के निकट 23 एम0आई0जी0 भावनों का निर्माण कार्य प्रस्तावित है । यह भवन भी हडको की आर्थिक सहायता से वित्त पोषित किये जायेंगे । भावनों का विवरण निम्न प्रकार है :-

1-	सम्पूर्ण भूखण्ड का क्षेत्रफल	74.06 वर्गमीटर
2-	निर्मित क्षेत्रफल	21.63 वर्गमीटर
3-	एक कमरा ॥निर्मित॥ फर्श के साथ एवं दो दरवाजे	3.435×2.810 मीटर
4-	रसोई ॥निर्मित॥ फर्श के साथ	2.33× 1.80 मीटर
5-	बाथरूम ॥निर्मित॥ फर्श के साथ	1.315×1.27 मीटर
6-	शौचालय ॥निर्मित॥ फर्श के साथ	1.00×0.90 मीटर
7-	विजली एवं सेनेट्री की व्यवस्था	है ।
8-	अनुमानित बिक्रय मूल्य	₹ 57,520/-

चूंकि हडको ने सीलिंग कास्ट ₹ 60,000/- निर्धारित की है अतः उपरोक्त भावनों का बिक्रय मूल्य उक्त सीमा में निर्धारित किया जायेगा ।

इसी योजना के सेक्टर "ए" में 16 एच0आई0जी0 भावनों का निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है । यह भवन भी हडको की आर्थिक सहायता से वित्त पोषित किये जायेंगे ।

भावनों का विवरण निम्न प्रकार है :-

1-	सम्पूर्ण भूखण्ड का क्षेत्रफल	200 वर्गमीटर
2-	निर्मित क्षेत्रफल	47.88 वर्गमीटर
3-	एक ड्राइंग डाइनिंग हाल निर्मित मुझैक की फर्श एवं दरवाजों सहित	3.40x5.90 मीटर
4-	एक बेड रूम निर्मित मुझैक की फर्श एवं दरवाजों सहित	2.91x3.65 मीटर
5-	रसोई निर्मित फर्श के साथ	2.91x2.02 मीटर
6-	बाधा रूम एवं शौचालय निर्मित फर्श के साथ	1.385x2.000मीटर
7-	बाउन्ड्री काल	6 फुट ऊंची
8-	अनुमानित विक्रय मूल्य	₹ 1,73,600/-

हडको ने सीलिंग कास्ट ₹ 2,50,000/- निर्धारित की है अतः उपरोक्त भावनों का विक्रय मूल्य उक्त सीमा में निर्धारित किया जायेगा ।

अतः निम्न बिन्दुओं पर लखानऊ विकास प्राधिकरण की स्वीकृति अपेक्षित है :-

- 1- यह सँकल्प लिया जाता है कि उपाध्यक्षा, लखानऊ विकास प्राधिकरण को सीतापुर रोड योजना के सेक्टर "ए" एवं इन्जीनियरिंग कालेज के पीछे तथा सेक्टर "एफ" के निकट 213 ई0डब्लू0एस0, 23 एम0आई0जी0 तथा 16 एच0आई0जी0 भावनों के किराया क्रय पध्दति के आधार पर निर्माण कार्य के लिये हडको से ₹ 52.83 लाख का ऋण लेने हेतु प्राधिकृत किया जाता है ।
- 2- यह सँकल्प लिया जाता है कि सचिव, लखानऊ विकास प्राधिकरण को, सीतापुर रोड योजना के सेक्टर "ए" एवं इन्जीनियरिंग कालेज के पीछे सेक्टर "एफ" के निकट 213 ई0डब्लू0एस0, 23 एम0आई0जी0 तथा 16 एच0आई0जी0 भावनों के निर्माण के लिये हडको से लोन रेगुलेशन, मार्गैज डीड आदि पर हस्ताक्षर करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है ।
- 3- यह सँकल्प लिया जाता है कि सचिव, लखानऊ विकास प्राधिकरण को, सीतापुर रोड योजना के सेक्टर "ए" एवं इन्जीनियरिंग कालेज के पीछे सेक्टर "एफ" के निकट 213 ई0डब्लू0एस0, 23 एम0आई0जी0 तथा 16 एच0आई0जी0 भावनों के निर्माण के लिये हडको से ऋण अनुबन्धा पर लखानऊ विकास प्राधिकरण की कामन सील लगाने हेतु प्राधिकृत किया जाता है ।
- 4- यह सँकल्प लिया जाता है कि सीतापुर रोड योजना के सेक्टर "ए" एवं इन्जीनियरिंग कालेज के पीछे सेक्टर "एफ" के निकट 213 ई0डब्लू0एस0 भावनों के लिये विकसित भूमि की दर ₹ 100/- प्रति वर्ग मीटर सँसुतीडाइज्ड रेट तथा 23 एम0आई0जी0 एवं 16 एच0आई0जी0 भावनों के लिये विकसित भूमि की दर ₹ 275/- प्रति वर्ग मीटर निर्धारित की जाती है ।

विषय : तकनीकी शिक्षा संस्थान 7इन्स्टीट्यूट आफ इन्जीनियरिंग ऐण्ड टेकनालाजी लखनऊ को सीतापुर रोड योजना में भूमि के प्रीमियम पर टोकेन लीज़ रेन्ट लिये जाने से सम्बन्धित ।

वित्तीय वर्ष 1983-84 में 100 एकड़ भूमि तकनीकी शिक्षा संस्थान लखनऊ को प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के माध्यम से आवन्तित की गई थी । यह भूमि रु 5.50 प्रो वर्ग फुट की दर से आवन्तित की गई थी । उपरोक्त दर से प्रीमियम की कुल धनराशि रु 239.58 लाख आती है । उपरोक्त धनराशि के विपरीत रु 215.00 लाख प्राप्त हो चुका है तथा रु 24.58 लाख अवशेष है ।

शिक्षा
निदेशक, तकनीकी संस्थान लखनऊ ने अपने पत्र सं० आई०ई०टी०-189/लीज डीड/88-1701 दिनांक 27-5-88 में प्रतिलिपि संलग्न द्वारा अनुरोध किया है कि जिस प्रकार केन्द्रीय विद्यालय, अलीगंज को टोकेन लीज़रेन्ट की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, उसी प्रकार टोकेन लीज़रेन्ट की सुविधा उक्त संस्थान को भी उपलब्ध करा दी जाये क्योंकि यह संस्थान भी उच्च तकनीकी शिक्षा एवं जन कल्याण से सम्बन्धित संस्था है ।

प्रस्ताव : केन्द्रीय विद्यालय अलीगंज की भाँति ही तकनीकी शिक्षा संस्थान से भी टोकेन लीज़ रेन्ट लिये जाने की सुविधा प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान कर दी जाये ।

निदेशक, इन्स्टीट्यूट आफ इन्जीनियरिंग ऐण्ड टेकनोलोजी
सीतापुर रोड, लखनऊ के पत्रांक आई0ई0टी0-189/लीज़डीड
/88-1701, दिनांक 25/27-5-88 जो उपाध्यक्षा, लखनऊ
विकास प्राधिकरण को सम्बोधित है, की प्रतिलिपि ।

X=X=X=X=X=X=X

विषय : एल0डी0र0 से प्राप्त की गयी भूमि के लीज़ डीड
का निष्पादन ।

आप अवगत हैं कि तकनीकी शिक्षा के विकास को
दृष्टगत रखाते हुए राज्य शासन द्वारा छात्रों को बी0टेक स्तर पर
डिग्री दिये जाने के आशय से इस संस्थान की स्थापना नवम्बर, 1984
में की गई थी

2. केन्द्रीय विद्यालय अलीगंज को लखनऊ विकास
प्राधिकरण द्वारा टोकेन लीज़ रेन्ट की सुविधा उपलब्ध कराई
गयी है, ऐसा ज्ञात हुआ है ।

3. अनग्रहीत होगा यदि आप टोकेन लीज़रेन्ट की सुविधा
इस संस्थान को भी उपलब्ध कराये जाने से सम्बन्धित सुविधा
प्रदान करें, क्योंकि यह संस्थान भी उच्च शिक्षा एवं जन कल्याण
से सम्बन्धित संस्था है ।

विषय: प्रभारी अधिकारी-भवन खण्ड को शमन सम्बन्धी कार्यवाही करने हेतु प्राधिकरण द्वारा उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा -32 के अन्तर्गत शक्तियों का प्रतिनिधायन ।

प्रस्ताव: चूंकि उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-32 में यह उपबन्ध है कि अधिनियम के द्वारा दण्डनीय बनाये गये किसी अपराध का, कार्यवाहियों के सन्निहित किए जाने से पूर्व या पश्चात् प्राधिकरण द्वारा ऐसे निबन्धनों पर जिनके अन्तर्गत शमन फीस के संदाय के बारे में कोई निबन्धन भी आता है, जो प्राधिकरण ठीक समझें, शमन किया जा सकेगा और प्राधिकरण अपने उन समस्त अधिकारों व शक्तियों का प्र-योग करने के लिए किसी अधिकारी को प्राधिकृत कर सकता है। इस प्रक्रिया में इसके पूर्व ल०वि०प्रा० के अधिशासी अधिकारी §आर०बी०आ०§ तथा वास्तुविद नगर को प्राधिकरण की बैठक दिनांक : 22-9-87 द्वारा प्राधिकृत किया गया था किन्तु सम्बन्धित अधिकारियों के स्थानान्तरण एवं भवन विभाग की वर्तमान व्यवस्था के अनुसार यह संशोधन आवश्यक हो गया है कि प्रसंगित शमन अधिकार प्राधिकरण द्वारा प्रभारी अधिकारी भवन §1, 2, 3§ को उनके कार्य क्षेत्रों में पड़ने वाले शमन कार्यों हेतु कर दिया जाए। तदनुसार प्रभारी अधिकारी भवन §1, 2, 3§ को उनके कार्य क्षेत्रों में उक्त अधिनियम की धारा -32 के अधीन अधिकारों व शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत किए जाने हेतु प्राधिकरण के सम्मुख प्रेषित हैं।

विषय : मेसर्स मोटर सेल्स लि०, 11-महात्मागांधी मार्ग,
लखनऊ द्वारा अपने वर्तमान भवन में परिवर्तन
हेतु दिये गये मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

द्वारतगंज में महात्मा गांधी मार्ग पर स्थित मेसर्स मोटर सेल्स के भवन जिसमें प्रसंगित फर्म के कार्यालय एवं शो-रूम के अतिरिक्त मेसर्स वोल्टास व अन्य फर्मों के शो-रूम एवं कार्यालय भी हैं, में और अधिक निर्माण तथा वर्तमान में उपलब्ध अन्य निर्माण को परिवर्तित करने हेतु मानचित्र इस विभाग में प्रस्तुत किया गया था किन्तु प्रस्तावित मानचित्र में इस श्रेणी के भवनों में निर्धारित नये भवनों के भू-आच्छादन तथा एफ०ए०आर० की अनुकूलता न होने की दृष्टि में मानचित्र पर स्वीकृत प्रदान की जानी सम्भाव नहीं हो सकी थी किन्तु भवन के पुराने स्वस्म को बनाये रखे जाने के कारण मौजूदा भवन की सीमित स्थित एवं स्थल के सापेक्ष भवन के मौजूदा स्वस्म को बनाये रखने के प्रस्ताव के कारण मानचित्र स्वीकृत करने सम्बन्धी कुछ मौलिक आवश्यकताओं से छूट प्रदान करने सम्बन्धी एक प्रस्ताव प्राधिकरण की बैठक दिनांक 3-2-1988 में विषय संख्या: 20 के अन्तर्गत रखा गया था जिसमें प्राधिकरण द्वारा प्रकरण पर स्पष्ट आख्या तथा स्पष्ट वाञ्छित छूट के साथ प्रस्ताव रखने के निर्देश दिये गये । प्राधिकरण के निर्देशों के अनुस्यू प्रकरण की विस्तृत जाँच लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक विभाग द्वारा की गयी एवं इस मामले में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक की विस्तृत आख्या प्राप्त हुई है । मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक विभाग द्वारा इस आख्या में प्रस्तुत मानचित्र के स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में निम्न विभिन्न पहलुओं पर प्राधिकरण की छूट चाही गयी है ।

- 1- चूँकि भवन पुराना बना हुआ है और सड़क के सापेक्ष अपनी पुरानी स्थिति में रखा जाना प्रस्तावित है ।
अतः सड़क चौड़ाई हेतु 3 फिट- 4 इंच का स्थान छुड़ाया जाये ।

2- भवन में प्रस्तावित विभिन्न निर्माणों हेतु विभिन्न तलों पर प्राप्त किये जा रहे भू-आच्छादन में से शासनादेशा संख्या: 1713/37-3-87-70एन0के0वी0/87, दिनांक: 9-6-87 के अनुसार प्रथम तल का भू-आच्छादन 27.49% अधिक था किन्तु पक्ष ने वर्तमान में प्रेषित संशोधित भवन चित्र में इस कमी का निराकरण निर्माण प्रस्ताव को कम करके पूर्ण कर दिया है ।

3- महायोजनानुसार भवन के सामने 40 फिट-0" का सेट बैक छोड़ना अनिवार्य है किन्तु भवन क्योंकि बहुत पुराना बना है अतः सेट बैक से छूट प्रदान किया जाना प्रस्तावित है ।

इसी प्रकार को शिथिलता साइड लेन को ओर 10-0" के सेट बैक हेतु वांछित है ।

4- पार्किंग की कमी जोकि भवन में पूरी की जानी व्यवहारिक नहीं है उसे शासनादेशा संख्या: 2034/11-5-87 के अनुसार पार्किंग शुल्क प्राप्त करके पूरी की जाने की अनुमति वांछित है ।

5- भवन की ऊँचाई भवन के सापेक्षा स्थात सड़क/लेन के सापेक्षा प्रस्ताव में अधिक पायी गयी थी किन्तु वर्तमान संशोधित मानचित्र में इस कमी को दूर कर दिया गया है क्योंकि पूर्व मानचित्र में भवन के बगल को लेन की चौड़ाई वास्तविकता से कम दर्शाई गयी थी । अतः भवन की ऊँचाई वर्तमान परिस्थितियों में वर्तमान प्राविधान के अनुरूप उचित है ।

प्रस्ताव:- मैसर्स मोटर सेल्स लि० द्वारा प्रेषित किये गये मानचित्र पर उपर्युक्त आख्या एवं मुख्य नगर एवं ग्रामनियोजक के परामर्श के अनुसार सेट बैक सड़क विस्तारणा से छूट प्रदान करने की अनुमति प्रदान करना चाहें ।

लखानऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनोंक

7 जुलाई, 1988 में विचारणीय

अनुपूरक कार्य-सूची

=====

क्रम सं०	विषय	पृष्ठ
17	अभियन्त्रण कार्यो एवं सम्पत्ति विभाग से सम्बन्धित सूचनार्ये ।	31
18	अर्जन विभाग में कार्यरत सहायक अभियन्ताओं/अवर अभियन्ताओं को अर्जन कार्य हेतु विशेष वेतन दिये जाने के सम्बन्ध में ।	32
19	गाजिउद्दीन हैदर कैनाल के बन्धा तथा प्राणि उद्दयान हेतु भूमि अर्जन ।	33
20	नवीन अलीगंज आवासीय योजना हेतु भूमि का अर्जन ।	34
21	इन्डस्ट्रियल एरिया एशाबाग लखानऊ के भूखण्ड संख्या: 151 को मोतीझील आवास योजना में सम्मिलित रखाने या पृथक करने पर विचार	35
22	विधान सभा मार्ग पर व्यवसायिक कम आवासीय योजना ।	36
23	अर्जन विभाग की लम्बित योजनाओं के सम्बन्ध में आख्या ।	37
24	सीतापुर रोड योजना के सेक्टर "जी" के सामने ग्राम सिकन्दरपुर इनायत अली में 106 ई0डब्लू0एस0 भवनों का निर्माण ।	46
25	आवासीय क्षेत्र में होटल बनाने की अनुमति के सम्बन्ध में ।	47
26	गोमती नगर योजना में मे0 इन्डियन होटल लि0 नई दिल्ली & ताज ग्रुप & को होटल निर्माण हेतु भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में ।	49
27	अपर इन्डिया कूपर पेपर मिल लि0 कम्पनी की अर्जित भूमि के सम्बन्ध में विचारार्थ आख्या ।	53

विषय :- अभियन्त्रण विभाग एवं
सम्पत्ति विभाग से सम्बन्धित
सूचनाओं के सम्बन्ध में ।

अभियन्त्रण विभाग एवं सम्पत्ति
विभाग से सम्बन्धित सूचनाएँ अलग से
बुकेट फार्म में प्रस्तुत की जा रही हैं ।

- विषय- अर्जन विभाग में कार्यरत सहायक अभियन्ताओं/अवर अभियन्ताओं को अर्जन कार्य हेतु विशेष वेतन दिये जाने के सम्बन्ध में ।
- सारांश- लखनऊ विकास प्राधिकरण के अर्जन विभाग में कार्यरत सहायक अभियन्ताओं/अवर अभियन्ताओं द्वारा अर्जन सम्बन्धी ग्रम साध्य एवं विधि सम्बन्धी कार्यों को सम्पादित किये जाने के लिए सिंचाई विभाग में नियोजन परिकल्प एवं सर्वेक्षण आदि कार्यों हेतु कार्यरत सहायक अभियन्ताओं/अवर अभियन्ताओं को शासनादेश संख्या-1583/23-नि0-1/87-342/85, दिनांक 7 मार्च, 1987 के अनुसार दिये जाने वाले विशेष वेतन के अनुरूप, विशेष वेतन दिये जाने की मांग की है । इन सहायक अभियन्ताओं/अवर अभियन्ताओं ने उक्त विशेष वेतन का मुगतान अर्जन विभाग में पदस्थ किये जाने की दिनांक से दिये जाने का अनुरोध किया है ।

विकास प्राधिकरण के कार्य-कलापों में मूमि अर्जन के कार्य का अपना विशेष महत्त्व है । अर्जन विभाग में अर्जन कार्य हेतु पदस्थ सहायक अभियन्ताओं/अवर अभियन्ताओं मूमि अर्जन से सम्बन्धित विधिक एवं अन्य कार्य जो काफी परिश्रम एवं वकीलों के यहाँ अधिक रात तक बैठ कर एवं विशेष लगन के साथ सम्पादित करते हैं तथा विभिन्न न्यायालयों में जाकर प्रतिशपथ दायर कर पैरवी भी करते हैं जिसके लिए अर्जन विभाग में अर्जन कार्य हेतु पदस्थ सहायक अभियन्ताओं / अवर अभियन्ताओं को, विभाग में उक्त कार्य सम्पादित किये जाने की तिथि से सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश में दिये जा रहे विशेष वेतन के समान सहायक अभियन्ताओं की ₹0200/- प्रतिमाह एवं अवर अभियन्ताओं को ₹0100/-प्रतिमाह विशेष वेतन स्वीकृति किये जाने की अनुशंसा की जाती है । प्रश्नगत मुगतान से पूर्व शासन को अवगत करा दिया जायेगा ।

अतः समिति के समदा यह विषय विचारार्थ प्रस्तुत है।

असफल
neward 5/11
मि. दि. प्र. ता. 9
CRS

लखनऊ विकास प्राधिकरण समिति के समक्ष
विचारार्थ आख्या

विषय :- गाजीउद्दीन हैदर कैनाल के बन्धा तथा प्राणि उद्यान हेतु भूमि का अर्जन।

सारांश :

संयुक्त सचिव, नजूल अनुभाग, उ०प्र० शासन के पत्र सं०- 988/9-नजूल-88-102 एन/88, दिनांक 23.5.88 के अनुसार गाजीउद्दीन हैदर कैनाल के बन्धा तथा प्राणि उद्यान की पूर्वी सीमा के बीच लामाटी नियर कालेज की नजूल भूमि से मिला हुआ पुलिस महानिदेशक के कार्यालय के सामने सड़क से मिली हुई रिक्त नजूल भूमि प्राणि उद्यान को अधिग्रहीत कर उपलब्ध कराई जानी है। इस हेतु एक योजना तैयार की गयी है। योजना की चौहद्दी निम्न प्रकार है :-

उत्तर : छसरा सं०- 130 पी, ग्राम जियामऊ ।
दक्खिन : सीमा योजना बनारसी बाग ।
पूरब : बन्धा
पश्चिम : जू स्थित मो० बनारसी बाग ।

उक्त योजना के अन्तर्गत 6.13 एकड़ भूमि, भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा 4, 6, व 17 के अन्तर्गत अधिग्रहीत कर प्राणि उद्यान विभाग को तुरन्त दी जानी है। अतः निम्न विन्दु लखनऊ विकास प्राधिकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है :-

§ 18 उक्त योजना के अन्तर्गत 6.13 एकड़ भूमि को भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा 4, 6 व 17 के अन्तर्गत अर्जित करने की अनुमति ।

§ 28 योजना का नाम गाजीउद्दीन हैदर कैनाल के बन्धा तथा प्राणि उद्यान हेतु भूमि का अर्जन रखाने की अनुमति ।

अ
इस शर्त के
लायें सीमा
की गई हैं
क) फा 971. की अर्जा
उपलब्ध कराएँ

संचालक अर्जन

सचिव

उपाध्यक्ष

लखनऊ विकास प्राधिकरण समिति के समक्ष
विचारार्थ आख्या

विषय:- नवीन अलीगंज आवासीय योजना हेतु भूमि अर्जन ।

सारांश :- लखनऊ नगर की बढ़ती हुई आबादी को बसाने एवं नगर के सुनियोजित विकास को दृष्टिगत रखते हुए एक आवासीय योजना के नाम से तैयार की गई है, जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है :-

- पूरब : 185, 186पी, 193पी, 191, 190, 197, 196, 195, ग्राम शेखापुर तथा खसरा सं०-155 पी, ग्राम इस्लाम बाड़ी।
- पश्चिम: खसरा सं०-207 पी, ग्राम शेखापुर व आबादी ग्राम शेखापुर।
- उत्तर : खसरा सं०-118पी, 119, 135, 136, 187पी, 139, 175, 184पी, 183, ग्राम शेखापुर व आबादी ग्राम शेखापुर ।
- दक्षिण: खसरा सं०-155पी, ग्राम इस्लामबाड़ी, एवम् खसरा सं०-203पी ग्राम शेखापुर व आबादी ग्राम शेखापुर।

उक्त आवासीय योजना के अन्तर्गत कुल 11.36 एकड़ भूमि भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा 4, 6 व 17 के अन्तर्गत अधिग्रहीत की जानी है।

अतः निम्न बिन्दु लखनऊ विकास प्राधिकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है :-

§ 1§

उक्त योजना के अन्तर्गत 11.36 एकड़ भूमि को भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा 4, 6, व 17 के अन्तर्गत अर्जित करने की अनुमति

§ 2§

योजना का नाम नवीन अलीगंज आवासीय योजना रखाने की अनुमति ।

Group house
part
2/1/17

लखनऊ विकास प्राधिकरण की समिति के समक्ष

विचारार्थ आख्या :---

विषय :- इन्डस्ट्रियल एरिया ऐशबाग लखनऊ के भूखण्ड सं० 151 को मोतीझील आवास योजना में सम्मिलित रखने या पृथक करने पर विचार ।

सारांश :--- लखनऊ नगर के

लखनऊ नगर के ऐशबाग के पास भदेवा में श्री जुगल किशोर का रेस्टो मिल बॉर्ड इन्डस्ट्री के नाम का एक कारखाना था जो तत्कालीन नगर महापालिका के विकास विभाग द्वारा आवासीय योजना हेतु अर्जित कर जिया गया था। नगर महापालिका के विकास विभाग ने श्री जुगल किशोर को विस्थापित होने के कारण नगर महापालिका की विकास समिति की कार्यकारिणी द्वारा वर्ष 1970 में इन्डस्ट्रियल एरिया ऐशबाग में भूखण्ड सं० 151 कतिपय शर्तों के साथ आवंटित कर दिया था। श्री जुगल किशोर ने नगर महापालिका के विकास विभाग द्वारा वर्तित धनराशि भी दिनांक 22.8.70 को जमा करी थी। इसी बीच लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अपनी बैठक दिनांक 4.7.79 में निम्न निणय लिया था:--

" मोतीझील आवास योजना जिसका क्षेत्र 38.5 एकड़ है को आवासीय योजना हेतु भूमि अर्जित अधिनियम के अन्तर्गत अर्जित करने की अनुमति दी जाती है। योजना का नाम मोतीझील आवासीय योजना रखा जाय "।

उक्त योजना में श्री जुगल किशोर को आवंटित किया गया भूखण्ड सं० 151 भी सम्मिलित था। प्राधिकरण के दिनांक 4.7.79 के निणय के अनुपालन में जिलाधिकारी लखनऊ को दिनांक 1.8.79 के पत्र द्वारा अर्जित हेतु आवश्यक प्रस्ताव भेजा गया। उक्त प्रस्ताव जिलाधिकारी स्तर पर ही लम्बित है। लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 26.10.85 एवं 29.11.85 में निम्न निणय लिया गया :--

" विचार विमर्श के उपरान्त निणय लिया गया कि श्रीसेठ के भूखण्ड सं० 152 को अर्जित न किया जाय " ।

श्री जुगल किशोर को भूखण्ड सं० 151 पूर्व में ही आवंटित किया जा चुका है। चूंकि श्री जुगल किशोर का मामला भी श्री सेठ के मामले की भांति है। अतः समिति के समक्ष यह विचारार्थ प्रस्तुत है कि श्री जुगल किशोर के भूखण्ड सं० 151 को भी अर्जित प्रस्ताव से पृथक कर दिया जाय अथवा नहीं ।

1/11

सारांश :--

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक _____ में निम्नलिखित लिया गया था कि जो योजनाएँ प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत हैं एवं विज्ञापित अभी तक जारी न हो सकी है वे समस्त योजनाएँ पुनः प्राधिकरण की बैठक में प्रस्तुत की जाय। उपरोक्त निम्नलिखित के क्रम में समस्त प्रामुखित एवं लम्बित योजनाओं का विवरण निम्न प्रकार है।

क्र.सं०	योजना का नाम	क्षेत्र/एकड़ में	विवरण
1-	चारबाग रेलवे स्टेशन के समीप पब्लिक पैदावटी योजना	1.11	योजना लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 26.7.86 में लिए गये निम्नलिखित 5 एकड़ क्षेत्र तक का प्रस्ताव उपाध्यक्ष को भेजने का अधिकार है। के अनुसार उपाध्यक्ष महोदय के आदेश दि० 10.4.87 द्वारा नजूल भूमि अर्जन का प्रस्ताव दिनांक 30.5.87 को सीधे शासन को प्रेषित किया गया। यह योजना शासन स्तर पर लम्बित है तथा इस योजना के अन्तर्गत आने वाली भूमि रिक्त है।
2-	आर्य समाज पर आवारा योजना	1.59	लखनऊ प्रा० की बैठक दिनांक 7.5.86 द्वारा गठित उप समिति के निरीक्षण के उपरान्त उक्त योजना दिनांक 13.5.86 को स्वीकृत की गई तत्पश्चात् जिलाधिकारी को प्रस्ताव दिनांक 9.5.83 तथा जिलाधिकारी द्वारा शासन को प्रस्ताव दिनांक 11.6.87 को प्रस्तुत किये गये। उक्त योजना के अन्तर्गत आने वाली भूमि पर अनेक कच्चे पक्के मकान बने हुए हैं।
3-	कान्यकुब्ज कालेज के पास छाली पड़ी भूमि का अर्जन	3.54	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 4.7.79 द्वारा नजूल भूमि के प्रस्ताव सीधे शासन को दिया गया था, उपाध्यक्ष महोदय, के आदेश दि० 10.4.87 द्वारा उक्त यो० शासन को सीधे दिनांक 30.5.87 को प्रेषित कर दी वर्तमान समय में यह योजना शासन स्तर पर विचाराधीन है।
4-	बटलर गंज भूखण्ड सं० 63 ए व 63 बी पर योजना	1.50	योजना लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 26.7.86 में लिए गये निम्नलिखित 5 एकड़ क्षेत्र तक का प्रस्ताव उपाध्यक्ष को भेजने का अधिकार है। के अनुसार उपाध्यक्ष महोदय, के आदेश दिनांक 10.4.87 द्वारा भूमि अर्जन का प्रस्ताव दिनांक 8.6.87 को सीधे शासन को प्रेषित कर दिया गया।

Handwritten signature and notes in the bottom left corner.

क्र०सं०	योजना का नाम	क्षेत्र एकड़ में	विवरण
5	अलीगंज भाग-3	3.091	ल०वि०प्रा० की बैठक दिनांक 26.7.86 में लिए गये निणय के अनुसार जिसमें 5 एकड़ तक क्षेत्र की योजना हेतु भूमि अर्जन प्रस्ताव सीधे भेजने का अधिकार प्राप्त है के अनुसार दि० 19.11.87 को प्रस्ताव शासन को प्रेषित कर दिये गये। वर्तमान समय में योजना शासन स्तर पर विचाराधीन है।
6--	ए.पी.सेन रोड नं० 14	0.92	ल०वि०प्रा० की बैठक दिनांक 22.12.79 में उक्त योजना हेतु भूमि अर्जन का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया तत्पश्चात् प्रस्ताव जिलाधिकारी को दिनांक 25.4.8 को प्रेषित किये गये, जिला-धिकारी द्वारा उक्त प्रस्ताव शासन को दिनांक 6.80 को प्रस्तुत कर दिये गये वर्तमान समय में यह योजना शासन स्तर पर विचाराधीन है।
7--	बीरबल साहनी मार्ग पर काल्विन कालेज के पास आवा०यो०	9.02	ल०वि०प्रा० की बैठक दि० 7.5.86 द्वारा गठित उप समिति के उपरान्त उक्त योजना का 13.5.86 को स्वीकृत की गयी। तत्पश्चात् प्रस्ताव जिलाधिकारी को दिनांक 9.4.86 तथा जिलाधिकारी द्वारा शासन को प्रस्ताव 30.5.87 को प्रस्तुत किये गये वर्तमान समय में यह योजना शासन स्तर पर विचाराधीन है।
8--	अलीगंज सब्जीमंडी योजना	0.98	उक्त योजना ल०वि०प्रा० की बैठक दिनांक 4.7.7 में अनुमोदित की गई तत्पश्चात् प्रस्ताव जिलाधिकारी को दि० 28.9.79 एवं जिलाधिकारी द्वारा शासन को प्रस्ताव दि० 25.4.80 को प्रेषित किये गये समस्त भूमि पर कच्चे पक्के निर्माण व प्रा०स्कूल स्थापित है। प्रा०स्कूल की वैकल्पिक व्यवस्था न होने के कारण शासन द्वारा अग्रिम कार्यवाही नहीं की गई। उक्त योजना ल०वि०प्रा० की बैठक दिनांक में अनुमोदित की गयी तत्पश्चात् जिलाधिकारी का प्रस्ताव दिनांक 30.5.87 को प्रेषित किये गये वर्तमान समय में यह योजना जिलाधिकारी स्तर लिखित है।
9--	कानपुर रोड भाग-3ए	159.98	

क्र०सं०	योजना का नाम	क्षेत्र एकड़ में	विवरण
10-	रुस्तम नगर आवासीय योजना	8.34	ल०वि०प्रा०की बैठक दिनांक 23.1.85 में उक्त योजना अनुमोदित की गई । तत्पश्चात जिलाधिकारी को दिनांक 18.1.85 को प्रेषित किया गया वर्तमान समय में उक्त योजना जिला-धिकारी स्तर पर लम्बित है इस योजना में आने वाली कुछ भूमि पर कच्चे पक्के मकान बने हैं तथा कुछ भूमि रिक्त है।
11-	कैम्बल रोड आवासीय योजना	1399.96	ल०वि०प्रा० की बैठक दिनांक 24.1.84 में उक्त योजना अनुमोदित की गई, प्रस्ताव जिलाधिकारी को 3.12.83 को ल०वि०प्रा० की स्वीकृत की प्रत्याशा में प्रस्ताव जिलाधिकारी को भेजे गये। दिनांक 24.8.87 को प्रस्ताव वि०भू० अ०अ० के कार्यालय से 24.8.87 को वापस प्राप्त हुए जिसमें वि०भू०अ०अ० ने उक्त योजना को चार भागों में विभक्त करवाकर भेजने का अनुरोध किया उक्त क्रम में योजना कैम्बल रोड भाग-1 क्षेत्र 485.02 एकड़ के भूमि अर्जन प्रस्ताव दिनांक 2.6.88 को पुनः जिलाधिकारी को प्रेषित कर दिये गये। वर्तमान समय में यह योजना जिला-धिकारी स्तर पर लम्बित है।
12-	कैण्ट रोड पर व्यवसायिक योजना	1.32	ल०वि०प्रा०की बैठक दिनांक 26.7.86 में लिए गए निर्णय जिसमें 5 एकड़ क्षेत्रफल तक प्रस्ताव उपाध्यक्ष महोदय को भेजने का अधिकार है, के अनुसार उपाध्यक्ष महोदय के आदेश दिनांक 24.4.86 के क्रम में योजना के प्रस्ताव जिलाधिकारी को भेज दिए गए उक्त भूमि पर पक्की इमारत बनी हुई जिसके 14 विस्तारित है तथा यह योजना जिलाधिकारी स्तर पर क्वाराधीन है।
13-	शिलावां आवासीय योजना	319.04	यह योजना दिनांक 19.10.87 में ल० वि०प्रा० की बैठक में अनुमोदित की गई तत्पश्चात प्रस्ताव जिलाधिकारी को दिनांक 21.1.87 को प्रस्तुत किये गये इस योजना में आने वाली 804 भूमि निमाणा से आच्छादित है । वर्तमान समय में यह योजना जिलाधिकारी स्तर पर लम्बित है।

क्र०सं०	योजना का नाम	क्षेत्र एकड़ में	विवरण
14-	नैपियर रोड योजना भाग-3	85.00	यह योजना 2.4.75 को ल०वि०प्रा०की बैठक में अनुमोदित की गई, तत्पश्चात् प्रस्ताव जिलाधिकारी दिनांक 17.1.79 को प्रस्तुत किये गये उक्त योजना के अन्तर्गत आने वाली 90% भूमि निर्माणाधीन आच्छादित है जिसमें 200 विस्थापित हैं। वर्तमान समय में यह योजना जिलाधिकारी स्तर पर लम्बित है।
15-	नैपियर रोड योजना भाग-4	19.50	यह योजना दि० 24.11.82 को ल० वि०प्रा० की बैठक में अनुमोदित की गई तत्पश्चात् प्रस्ताव जिलाधिकारी की दि० 1.6.83 को प्रस्तुत किये गये इस योजना के अन्तर्गत आने वाली 40% भूमि रिक्त है शेष निर्माण से आच्छादित है। वर्तमान समय में यह योजना जिलाधिकारी स्तर पर लम्बित है।
16-	ए०पी०सेन रोड पर योजना	1.41	यह योजना दि० 4.7.79 को ल०वि०प्रा० की बैठक में अनुमोदित की गई तत्पश्चात् प्रस्ताव जिलाधिकारी को 21.9.79 को प्रस्तुत किये गये शासन को वर्ष 1980 में योजना गई शासन द्वारा प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिये गये तत्पश्चात् पुनः ल०वि०प्रा० की बैठक दि० 7.5.86 में गठित उप समिति द्वारा निरीक्षण किया जाना था, जो नहीं हो सका।
17-	जियामऊ आवासीय योजना	7.41	योजना जिलाधिकारी को दिनांक 10.6.88 को प्रस्तावित की गई इस योजना के अन्तर्गत आने वाली भूमि के कुल भाग पर पक्के भवन बने हुए हैं तथा कुछ भूमि रिक्त है, वर्तमान समय में यह योजना जिलाधिकारी स्तर पर लम्बित है।
18-	कार्मशियल काम्प्लेक्स एवं आवासीय योजना	1.03	यह योजना ल०वि०प्रा०की स्वीकृत की प्रत्याशा में दिनांक 25.4.86 को जिलाधिकारी को प्रेषित की गयी तत्पश्चात् ल०वि०प्रा०की बैठक दिनांक 26.7.86 में लिये गये निर्णय के अनुसार 5 एकड़ से कम भूमि को अर्जित करने हेतु प्रस्ताव भेजने का अधिकार सीधे उपाध्यक्ष को प्रदान

- कर दिया गया इस योजना के अन्तर्गत आने वाली भूमि पर कुछ पक्के मकान एवं दुकाने एवं कुछ भूमि रिक्त है। जिसमें 16 विस्थापित हैं। वर्तमान समय में यह योजना जिला-अधिकारी स्तर पर लम्बित है।
- 19- लालबाग व्यवसायिक योजना 7.90 यह योजना दि० 19.10.87 को लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक में अनुमोदित की गई, तत्पश्चात् प्रस्ताव जिलाधिकारी को दिनांक 17.1.87 को प्रस्तुत किया गया इस योजना के अन्तर्गत आने वाली सम्पूर्ण क्षेत्र निमाणों से आच्छादित है वर्तमान समय में यह योजना जिलाधिकारी स्तर पर लम्बित है।
- 20- फातिमा अस्पताल में भूमि 0.1215 यह योजना ल०वि०प्रा०की स्वीकृत की प्रत्याशा में दि० 3.2.83 को जिलाधिकारी को भेज दी गई तत्पश्चात् ल०वि०प्रा० की बैठक दिनांक 26.7.86 के द्वारा 5 एकड़ से कम भूमि का प्रस्ताव उपाध्यक्ष को अपने स्तर से भेजने की स्वीकृत प्रदान कर दी गई। वर्तमान समय में यह योजना जिलाधिकारी स्तर पर लम्बित है।
- 21- कुसी रोड को चौड़ा करने की योजना 8.34 प्राधिकरण से परिचालन द्वारा दिनांक 9.3.85 को योजना के अर्जन का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। जिलाधिकारी लखनऊ को प्रस्ताव दिनांक 21.6.85 को प्रेषित किया गया। अभी भी प्रस्ताव जिलाधिकारी स्तर पर लम्बित है। इस योजना के अन्तर्गत कई पक्की दुकानें एवं भवन आते हैं।
- 22- टिकैत राय तालाब सौन्दर्यीकरण 10.69 प्राधिकरण द्वारा अर्जन की स्वीकृति के उपरांत दिनांक 24.4.86 को प्रस्ताव जिला-अधिकारी ल०को प्रेषित किया जा चुका है। अभी तक प्रस्ताव जिलाधिकारी द्वारा शासन को प्रेषित नहीं किया गया है।
- 23- उजरियाँव भाग-4 33.15 योजना जिलाधिकारी को दिनांक 30.11.85 को प्रेषित की गई थी, लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 7.5.86 में लिये गए निणय के अनुसार गठित उप समिति के निरीक्षण दिनांक 13.5.86 में योजना स्वीकृति की गयी। तुरन्त भूमि की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए योजना को दो भागों में विभक्त कर प्रथम भाग शासन को प्रेषित कर दिया गया है।

- 24- अलीगंज आवासीय योजना भाग -2 20.2.2 योजना जिलाधिकारी लखनऊ को दिनांक 5.12.84 को प्रेषित की जा चुकी है। प्राधिकरण की बैठक दिनांक 23.1.85 में अर्जन की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। इस योजना के अन्तर्गत रवीन्द्र गार्डन कालोनी की भूमि जो कि पूर्व में शासन द्वारा अलीगंज योजना से मुक्त कर दी गयी थी, के पुनः अर्जन का प्रस्ताव है।
- 25- सीतापुर रोड बगर प्रसार योजना भाग-3 1.37 सीतापुर रोड योजना प्राधिकरण की बैठक दिनांक 9.3.85 में स्वीकृति की गयी थी। इस योजना के मध्य कुछ भूमि, जो अर्जन नहीं थी, के अर्जन का प्रस्ताव जिलाधिकारी को दिनांक 6.6.87 को प्रेषित किया जा चुका है। योजना जिलाधिकारी स्तर पर लम्बित है।
- 26- बटलर गंज भूखण्ड सं038, 39,40,41 पर योजना 11.30 योजना जिलाधिकारी को भूमि अर्जन हेतु दिनांक 11.4.86 को प्रेषित की जा चुकी है। प्राधिकरण की बैठक दिनांक 7.5.86 में लिये गये निर्णय के अनुसार गठित उपसमिति के निरीक्षण दिनांक 13.5.86 के उपरान्त योजना के अन्तर्गत भूमि अर्जन का प्रस्ताव स्वीकृति किया जा चुका है। योजना की समस्त भूमि नजूल होने के कारण उपाध्यक्ष महोदय के सीधे शासन को दिनांक 30.5.87 को प्रेषित की जा चुकी है योजना शासन स्तर पर लम्बित है। संभवतः इस भूमि को शासन द्वारा किसी समिति को हिये जाने हेतु भी कार्यवाही की जा रही है।
- 27- प्रयागपुर हाउस नं02 1.280 प्राधिकरण की बैठक दिनांक 25.7.86 में लिये गये निर्णय के अनुसार 5 एकड़ तक की भूमि के अर्जन की स्वीकृति उपाध्यक्ष महोदय सक्षम हैं। अतः उपाध्यक्ष के आदेश दिनांक 10.4.87 के अनुसार सम्पूर्ण भूमि नजूल होने के कारण योजना सीधे शासन को दिनांक 30.5.87 को प्रेषित की गयी योजना शासन स्तर पर लम्बित है।
- 28- हरदोई रोड योजना भाग-2 3.46 प्राधिकरण की बैठक दिनांक 26.7.86 में लिए गए निर्णय के अनुसार 5 एकड़ तक के प्रस्ताव हेतु उपाध्यक्ष महोदय सक्षम हैं अतः उपाध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार दिनांक 8.5.87 को योजना जिलाधिकारी को प्रेषित की गयी।

- 29- महारानी लक्ष्मीबाई मार्ग 8.50 प्राधिकरण की बैठक दिनांक 19.10.87 में योजना की स्वीकृति प्रदान की गयी जिलाधिकारी ल० को प्रस्ताव दिनांक 24.4.86 को प्रेषित किया जा चुका है इस योजना के अन्तर्गत अनेको पक्के भवन स्थित हैं। इस योजना में कुल 69 विस्थापित होंगे।
- 30- प्रयागपुर हाउस नं०-1 1.34 प्राधिकरण की बैठक दिनांक 7.5.86 के लिए किये गये निणयि के अनुसार गठित उपसमिति के निरीक्षक दिनांक 13.5.86 के उपरान्त योजना की स्वीकृति प्रदान की गयी। जिलाधिकारी लखनऊ को प्रस्ताव दिनांक 9.5.86 को प्रेषित किया जा चुका है इस योजना के अन्तर्गत एक पेट्रोल पम्प एवं दो भवनों के मानचित्र भी स्वीकृति किये जा चुके हैं।
- 31- शहनजर के आसपास कार्यालय एवं व्यवसायिक योजना 7.62 प्राधिकरण की बैठक दिनांक 7.5.86 में लिए गए निणयि के अनुसार गठित उपसमिति के निरीक्षण के दिनांक 13.5.86 के उपरान्त योजना की स्वीकृति प्रदान की गयी। जिलाधिकारी लखनऊ को प्रस्ताव दिनांक 11.4.86 को प्रेषित किया जा चुका है। इस योजना में कुछ अस्थायी निर्माण हैं एवं काफी भूमि रिक्त भी है।
- 32- राधाग्राम आवासीय योजना 551.88 प्राधिकरण की बैठक दिनांक 24.9.87 में योजना स्वीकृति की गयी। जिलाधिकारी लखनऊ को योजना दिनांक 8.6.88 को प्रेषित की गयी। इस योजना में लगभग 25% भूमि निर्माणों से आच्छादित है शेष भूमि रिक्त है।
- 33- न्यू हैदराबाद स्थिति प्लॉट नं० 440/12वीं पर आवासीय योजना 0.76 प्राधिकरण की बैठक दिनांक 7.5.86 के निणयि के अनुसार गठित उपसमिति की बैठक के निरीक्षण दिनांक 13.5.86 के उपरान्त योजना स्वीकृति की गयी प्रस्ताव जिलाधिकारी को दिनांक 29.8.85 को प्रेषित किया गया।
- 34- कानपुर रोड नगर प्रसार योजना भाग- 6 प्राधिकरण की बैठक दिनांक 28.3.87 में योजना स्वीकृति की गयी। जिला- अधिकारी लखनऊ को प्रस्ताव दिनांक 25.6.87 को प्रेषित किया गया। योजना जिलाधिकारी स्तर पर ही लम्बित है।

- 35- अलीगंज सब्जी मंडी योजना
ल०वि०प्रा०की बैठक दिनांक 4.7.79 में योजना स्वीकृत की गयी। जिलाधिकारी द्वारा योजना शासन को 25.4.80 को प्रेषित की गयी। वैकल्पिक व्यवस्था सहित योजना के अन्तर्गत स्थित प्राइमरी स्कूल को न हटाये जाने के कारण शासन द्वारा कार्यवाही नहीं की जा सकी। एक भवन चित्र भी स्वीकृत किया जा चुका है।
- 36- जयहिन्द सिनेमा के निकट
व्यवसायिक योजना 1.949 योजना का प्रस्ताव जिलाधिकारी को दिनांक 10.3.87 को प्रेषित किया गया। लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 26.7.86 के अनुसार 5 एकड़ से कम भूमि हेतु उपाध्यक्ष महोदय सक्षम हैं अतः प्राधिकरण की बैठक में प्रस्तुत नहीं किया गया। योजना के अन्तर्गत ओको कच्चे पक्के निर्माण स्थिति है। जयहिन्द सिनेमा कामशियल कॉम्प्लेक्स का भवन चित्र भी स्वीकृत किया जा चुका है।
- 37- लिबर्टी सिनेमा के निकट 1.04
व्यवसायिक योजना हेतु भूमि का अर्जन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 19.10.87 में योजना का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। जिलाधिकारी लखनऊ को प्रस्ताव दिनांक 21.1.85 को प्रेषित किया गया। योजना के अन्तर्गत कई कच्चे पक्के मकान स्थिति है योजना के अन्तर्गत दो भवन चित्रों की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।
- 38- योजना भवन के सामने 0.49
स्थिति रोड को चौड़ा करने के सम्बन्ध में। प्राधिकरण की बैठक दिनांक 7.5.86 में लिए गए निष्पत्ति के अनुसार गठित उप समिति के निरीक्षण दिनांक 13.5.86 के उपरान्त योजना स्वीकृति की गयी। प्रस्ताव जिलाधिकारी को दिनांक 11.4.86 को प्रेषित किया जा चुका है योजना के अन्तर्गत भवनों की बाउण्ड्रीवाल स्थिति है।
- 39- मो०गनेशागंज स्थिति 4.45
हाता मातादीन को गुरुद्वारा रोड तक बढ़ाकर आवा० योजना। प्राधिकरण की बैठक दिनांक 24.11.82 में योजना का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। योजना जिलाधिकारी को दिनांक 22.3.83 को प्रेषित किया जा चुका है। योजना के अन्तर्गत ओको कच्चे पक्के मकान स्थिति है। योजना में कुल 193 विस्थापित होंगे।

40- नूरताही आतंगीय योजना 22-07

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 7.5.36 के निष्पत्तिनुसार गठित उप समिति का निरीक्षण नहीं पाने के कारण योजना स्वीकृति न हो सकी। प्रस्ताव जिलाधिकारी को दिनांक 23.4.86 को प्रेषित किया जा चुका है। इस योजना में कई कच्चे पक्के मकान स्थिति हैं एवं रिक्त भूमि भी है। योजना में कुल 26 विरुथापित होंगे।

उपरोक्त विवरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

संचालक § अर्जन §

सचिव

उपाध्यक्ष

योजना :- विधान सभा मार्ग पर व्यवसायिक कम आवासीय योजना ।

सारांश :-

बालिंगटन होटल एवं उसके आसपास की भूमि के अर्जन हेतु प्रस्ताव वर्ष 1984 में जिलाधिकारी लखनऊ को प्रेषित किया गया था, दिनांक 3.9.1985 को प्रचलित प्रस्ताव द्वारा योजना के अर्जन हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी थी। जिलाधिकारी लखनऊ के निर्देश पर नगर मजिस्ट्रेट लखनऊ द्वारा स्थल का निरीक्षण किया गया, नगर मजिस्ट्रेट ने अपनी रिपोर्ट में प्रस्तावित अधिग्रहण को प्रभावित होने वाले व्यक्तियों के परेशानी के प्रकरण में अधिग्रहण के कार्यवाही के औचित्य पर पुनर्विचार करने की संज्ञा दी।

शासन ने अपने शासनदेशा सं०-367 टी.आर्.पी./11-5-1 § 8एल.ए./85 दिनांक 31-10-85 द्वारा उक्त प्रस्ताव को स्थगित करने का निर्णय लिया गया उसके उपरान्त लखनऊ विकास प्राधिकरण ने शासन को अनेको पत्र भेजे गये कि शासन स्थगित करने के निर्णय पर पुनः विचार करें, परन्तु शासन द्वारा इस सम्बन्ध में कोई भी निर्णय अभी तक नहीं लिया गया। इस योजना के कार्यान्वित करने के पूर्व भू-उपयोग परिवर्तित किया जाना होगा। भू-उपयोग परिवर्तन हेतु प्रस्ताव अभी शासन को प्रेषित नहीं किया गया है।

श्री मूर्तजा हुसैन द्वारा बालिंगटन होटल में आवासीय सुविधा को बढ़ाने हेतु एक भवन मानचित्र लखनऊ विकास प्राधिकरण में प्रेषित किया गया है।

इस योजना के अन्तर्गत कुल 4.02 एकड़ भूमि के अर्जन का प्रस्ताव है। योजना के अन्तर्गत कई पक्के मकान व दुकान निर्मित है।

वर्ष 1984 से आज तक यह योजना शासन स्तर पर लम्बित और शासन द्वारा इस प्रस्ताव को स्थगित कर दिया गया है।

उपरोक्त परिस्थितियों में समिति के समक्ष निम्न विचारार्थ प्रस्तुत है -

§ 18 योजना के अन्तर्गत प्राप्त श्री मूर्तजा हुसैन के मानचित्र पर आपत्ति दी जाय अथवा नहीं।

§ 20 शेष भूमि पर योजना कार्यान्वित की जाय अथवा नहीं।

श्री मूर्तजा हुसैन
आर्.पी.डी.
लखनऊ

विषय : सीतापुर रोड योजना के सेक्टर "जी" के सामने ग्राम सिकन्दरपुर इनायत अली में 106 ई0डब्लू0एस0 भवनों का निर्माण ।

बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत शासन के द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार सीतापुर रोड योजना के सेक्टर "जी" में ग्राम सिकन्दरपुर इनायतअली में 106 ई0डब्लू0एस0 भवनों का निर्माण कराया जाना है । इन भवनों के लिये स्थल उपलब्ध है व पूर्व में स्वीकृत 192 ई0डब्लू0एस0 भवनों से लगा है । इन भवनों के निर्माण हेतु बैंक आफ बड़ौदा से ऋण लिया जायेगा । भवनों का विवरण निम्न प्रकार है :-

1-	भवनों की संख्या:	106
2-	स्थल :	गाँव सिकन्दरपुर इनायतअली के पास
3-	प्लॉट का क्षेत्रफल	36.75 वर्ग मीटर
4-	आवृत्त क्षेत्रफल	12.77 वर्ग मीटर
5-	निर्माण लागत	₹ 2,270/-
6-	एकमोडेशन :	एक कमरा, डब्लू0सी0 व ओपेन बाथरूम ।

भवन एक मन्जिले होंगे तथा भवनों की निर्माण लागत कम करने की दृष्टि से भवनों की नींव एक मन्जिला भवनों के हिसाब से रखी गई है । एक कमरा व डब्लू0सी0 व ओपेन बाथरूम बनाया जायेगा । कमरे में फर्श कच्चा रखा जायेगा, तथा केवल एक दरवाज़ा लगाया जायेगा ।

अतः उपरोक्त प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है ।

स/श

विषय : आवासीय क्षेत्र में होटल बनाने की अनुमति के सम्बन्ध में ।

लखनऊ महायोजना के अन्तर्गत स्थित आवासीय क्षेत्रों में होटल बनाने हेतु विगत दिनों निम्न व्यक्तियों द्वारा मानचित्र स्वीकृत हेतु इस विभाग में प्रेषित किये गये थे जिनके मानचित्र पर होटल बनाने की अनुमति लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा इस टिप्पणी के साथ नहीं दी गई थी कि आवासीय क्षेत्र में विशेष परिस्थितियों में होटल बनाने की अनुमति कन्ट्रोलिंग अथॉर्टी, लखनऊ महायोजना क्षेत्र, द्वारा ही प्रदान की जा सकती है । इन परिस्थितियों में सम्बन्धित तथ्यों द्वारा अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को विशेष अनुमति प्रदान किये जाने हेतु आवेदन किये गये थे जिन पर अध्यक्ष द्वारा इन प्रकरणों पर लखनऊ विकास प्राधिकरण की आगामी बैठक में विचार किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये थे । निर्देशों के अनुस्रम महायोजना के प्राविधानों के अनुपालन में तत्सम्बन्धित निम्न प्रकरण प्राधिकरण के विचारार्थ प्रस्तुत हैं :-

1- मास्टर एन0 आरिफ़

- §क§ स्थान : राणा प्रताप मार्ग पर जल निगम मुख्यालय के समीप
- §ख§ भू-उपयोग: आवासीय
- §ग§ आसपास भूखण्डों का प्रयोग : प्रस्तावित स्थल राणा प्रताप मार्ग पर नेशनल इन्टर कालेज के सामने एवं जल निगम के मुख्यालय के बगल में स्थित है एवं जल निगम के कार्यालय तथा इस भूखण्ड के मध्य एक 30 फिट चौड़ी सड़क स्थित है । आस पास के क्षेत्रों का भू-प्रयोग मिश्रित है । प्रस्तावित स्थल के पीछे एक नर्सिंग होम चलता है तथा सड़क के दूसरी तरफ़ नेशनल इन्टर कालेज है ।
- §घ§ भूखण्ड का क्षेत्रफल : 12,000 वर्गफुट
- §ङ. § भूमि का प्रकार : प्रस्तुत सेलडीड के अनुसार भूमिधारा

2- श्री के0 एन0 गुप्ता

- §क§ स्थान : 22 ए व 22 बी ए0पी0सेन रोड
- §ख§ भू-उपयोग : आवासीय
- §ग§ आसपास के भूखण्डों का प्रयोग: प्रसंगित भूखण्ड स्टेशन रोड व ए0पी0सेन रोड के कोने पर स्थित है तथा इसके एक तरफ़ आवासीय भवन है तथा दूसरी तरफ़ एक बड़ा भूखण्ड तथा

कृपया:—

Joint Insp.
ETCP
दिए गए
सामान के
कमले कांड
में (रा)

उसके बाद नगर के कई महत्वपूर्ण विद्यालयों की श्रृंखला प्रारम्भ हो जाती है। आसपास के भूखण्डों पर मुख्य रूप से आवासीय भवन बने हुए हैं। क्षेत्र मुख्य लखनऊ जंक्शन से लगभग 1 कि०मी० की परिधि में है।

भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल : 4810 वर्गफिट

भूमि का प्रकार : प्रस्तावित स्थल दो विभिन्न नजूल भूखण्डों 22 ए व 22 बी पर स्थित है जिसमें से भूखण्ड संख्या: 22 बी का पट्टा वागवानी § लीज़ फार गार्डेन परपेज़ § एवं 22 ए का पट्टा आवासीय भवन हेतु किया गया है।

3- श्री जनरैल सिंह

§क§ स्थान : 3 सपू मार्ग

§ख§ भू-उपयोग : आवासीय

§ग§ आस पास के भूखण्डों का प्रयोग: मुख्यतय: आवासीय है।

§घ§ भूखण्डों का क्षेत्रफल : 13,460 वर्गफिट

§ड. § भूमि का प्रकार : प्रसंगित भूमि नजूल की है जो पक्षा को 90 वर्ग के पट्टे पर दी गई है। तथा पट्टा आवासीय प्रयोग हेतु दिया गया है।

प्रस्ताव :

महायोजना में कन्ट्रोलिंग अथॉर्टी को प्रदत्त अधिकारों के अधीन आवासीय क्षेत्र में होटल के प्रस्ताव पर स्वीकृत प्रदान करने हेतु उपयुक्त परिस्थितियों में निम्न व्यक्तियों के प्रस्ताव पर विचार करना चाहें:

- 1- मास्टर एस० आरिफ़, राणा प्रताप मार्ग
- 2- श्री के०एन०गुप्ता, 1 ए०पी०सेन रोड
- 3- श्री जनरैल सिंह, 3 सपू मार्ग

विषय : गोमती नगर योजना में मे० इन्डियन होटल्स लि०, नई दिल्ली ग्रुप को होटल निर्माण हेतु भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में ।

उपरोक्त होटल को गोमती नगर योजना में 5 एकड़ भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में विषय प्राधिकरण की बैठक दिनांक 11-12-86 में विषय संख्या: 5 के अन्तर्गत रखा गया था ।

प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि उपरोक्त होटल को 5 एकड़ भूमि गोमती नगर योजना के अन्तर्गत उपलब्धता के आधार पर उपलब्ध करा दी जाये । इसके अतिरिक्त 25 एकड़ भूमि की जो माँग मिनोरिजेशन प्रयोग हेतु की गई है, इस सम्बन्ध में टर्म रेण्ड कन्डीशन्स बनाकर प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित करा ली जायें और तब इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जाये ।

प्राधिकरण के उपरोक्त निर्णय के तारतम्य में टर्म रेण्ड कन्डीशन्स 25 एकड़ भूमि दिये जाने से सम्बन्धित बना ली गई हैं और अनुबन्ध का प्रास्य भी बनाया गया है, जो सलग्न है ।

प्रस्ताव : प्राधिकरण कृपया प्रस्तावित अनुबन्ध में अंकित शर्तों का अनुमोदन करने की कृपा करें ।

अतः विषय प्राधिकरण के निर्णयार्थ प्रस्तुत

इस शर्त के लिए 11/21 प्रा. 11/21

clause 1(d) को 50 year लिए
"The licensee may construct temporary wooden shelters, the purpose & design of which shall be approved by LRA"

fee 10,000/- 22/11/87
— on terms & condition to be decided at the time of renewal.

AGREEMENT

पृष्ठ: 50

The Agreement/made the.....1988 between Lucknow Development Authority, a Corporation constituted under U.P. Urban planning & Development Act 1973 (Act No.11 of 1973) and having its Head office at 6, Jagdish Chandra Bose Marg, Lucknow Development Authority through its Prabhari Adhikari (Sampati), hereinafter called the licensor on one part and M/S Indian Hotels Company Ltd, a company incorporated under the India companies Act 1882 having its registered office at the Taj Mahal Hotel, Apollo Bunder, Bombay-400039, hereinafter called the licensee on the other part.

Whereas a plot of.....acres (.....Sq.M) as per Annexure 'A' has been allotted to the above Company in Gomti Nagar Scheme for reareational purpose.

Now therefore, it is mutually agreed between Licensor and Licensee as follows:-

1. The above land is being given to Licensee for the following uses:-
 - (a) The Licensee shall use it for park and plantation only.
 - (b) The Licensee will allow the public to enter the park on the entry fee awas kutally agreed upon between licensee and licensor.
 - (c) The licensee will not use above referred land for any trade purpose!
 - (d) The licensee may construct temporary shelters, the ^{purpose} design of which will be approved by L.D.A.
2. The licensee will not make any type of const. on the above land except mentioned in 1 (d) above.
3. The period of licence will initially be for 30 years. Before expiry of 30 years the licence shall be renewable for a period of further 30 years ^{on agreeable terms & con.} After expiry of 1st 30 years and 2nd 30 years the licence shall automatically be cancelled if it is not got renewed as mentioned above. It shall be responsibility of the

Contd..2

+ the design and purpose of which will be appd. by L.D.A.

licensee to get the licence renewed by giving application before 6 months on the date of expiry of licence period.

4. The above land is being allotted on token licence fee for Rs.1001/- per year.
5. The licensee shall not subdivide the above land or sublet any part of the above land.
6. The licensee shall fence the above land by railing on a foundation as mutually agreed by licensor and licensee.
7. The arrangement for water and electricity shall be made by licensee and their consumption charges shall also be borne by the licensee.
8. The development of above land shall be made by the licensee in consultation with L.D.A so that uniformity may be maintained with entire green belt of Vipen Khand of Gomti Nagar Scheme.
- ✓9. No activity related to hotel shall be allowed on any part of this land.
10. All expenses in regard to execution of agreement shall be born by the licensee.
11. The possession of land shall be taken by the licensee within three months from the date of execution of this agreement.
12. The licensee shall not mortgage above land infavour of any bank or Institution, for the purposes of borrowing funds for the hotel, or any other project.
13. CANCELLATION OF ALLOTMENT AND REVOCATION OF AGREEMENT
 - 13.1. If it is noticed that land of green belt so allotted is not being used for the purpose specified above or any of the conditions of the agreement are violated the licensor shall have right to cancel the allotment and revoke the agreement.
 - 13.2. If the licensee fails to comply with any conditions given herein, the licensor shall have right to

cancel the license and revoke the agreement.

13.3. On expiry or sooner determination of licence all the structures, sheds, construction etc. as well as the uses from the above land shall be removed and vacant possession thereof shall be given by the licensee to the licensor within 15 days at its (Licensee) own cost and expenditure.

14. Arbitration.

If any dispute arises regarding any matter between the licensee and the licensor, the same shall be referred for arbitration to the Chairman, Lucknow Development Authority under the provisions of the Arbitration Act, 1940 and the decision of the Chairman, Lucknow Development Authority shall be final and binding on both parties.

15. Jurisdiction.

For deciding all the matters concerning the work in question, Jurisdiction would be exclusively in the courts of Lucknow.

In witness whereof the said prabhari Adhikari (Sampati) for and on behalf of the licensor and Mr. Devinder Kumar Beri, constituted Attorney for the Indian Hotels Company Ltd., for and on behalf of the licensee have set their hand/signatures here under:-

DESCRIPTION OF LAND

- East - Open land
- West - 18 Meters wide service road
- North- Open land
- South- Open land

Witnesses:

Signed by:

1.

1. Prabhari Adhikari (Sampati),
Lucknow Development Authority,
For and on behalf of the licensor.

2.....

2.
For and on behalf of the Indian
Hotels Company Ltd., by its
constituted Attorney for and on
behalf of licensee.

Prepared by:

Checked by :

विषय:- अपर इण्डिया कूपर पेपर मिल्स लिमिटेड कम्पनी की अर्जित भूमि के सम्बन्ध में विचारार्थ आख्या।

सारांश :-

अपर इण्डिया कूपर पेपर मिल्स कम्पनी लिमिटेड के समीप नजूल की भूमि जो पट्टे पर उक्त कम्पनी को दी गयी थी के अधिग्रहण की कार्यवाही विभिन्न स्तरों पर वर्ष 1959 से की जाती रही है परन्तु उक्त कम्पनी द्वारा विभिन्न वाद विवादित किये जाने के फलस्वरूप अभी तक उक्त जमीन पर कब्जा लखनऊ विकास प्राधिकरण को नहीं मिल पाया है ।

इस सम्बन्ध में लखनऊ विकास प्राधिकरण के समक्ष दिनांक 9.4.88 की बैठक में विषय संख्या-3 पर एक आख्या प्रस्तुत की गयी थी जिसमें विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि इस मामले में पूर्ण तथ्यों से अवगत कराते हुए एक पत्र शासन को अपर इण्डिया कूपर पेपर मिल के संलग्नक पत्रों के साथ भेज दिया जाये। कि इस मामले में शासन स्तर पर ही निर्णय लेकर प्राधिकरण को निदेशित किया जाये।

इस निर्णय के अनुपालन में शासन को मामले की विस्तृत आख्या पत्रांक एल.डी.ए./ए.सी./175 दिनांक 26.4.1988 द्वारा प्रेषित की गयी थी जिसमें शासन से अनुरोध किया गया था कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा विगत कई वर्षों से लिखित इस मामले में उचित निर्णय निगति करने का कष्ट करें ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

पुनः अपर इण्डिया कूपर पेपर मिल कम्पनी लिमिटेड द्वारा भूत पूर्व विधि परामर्शी, उत्तर प्रदेश शासन तथा भूतपूर्व न्यायाधीश माननीय उच्च न्यायालय के श्री के.एन.गोयल से विधि सम्मति प्राप्त कर पुनः आग्रह किया गया कि उक्त विधि राय के आधार पर शीघ्र निर्णय लेकर उन्हें अवगत कराया जाये। लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिवक्ता श्री उमेशा चन्द्र से भी इस सम्बन्ध में राय प्राप्त की गयी। अतः यह आवश्यक हो गया कि शासन को पुनः इन दोनों सम्मतियों के अनुसार एक पत्र प्रेषित कर शासन से अनुरोध किया जाये कि अपर इण्डिया कूपर पेपर मिल कम्पनी लिमिटेड से सम्बन्धित अर्जित भूमि के मामले में आवश्यक निदेश निगति किये जायें।

शासनादेश संख्या 4-1- 6-4/11.5.88-47 एल./88 दिनांक 2 जुलाई, 1988 द्वारा यह कहा गया कि प्ररनगत भूमि के अर्जित करने का

प्रस्ताव लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा ही किया गया था और उसी के आधार पर ही शासन द्वारा भूमि अर्जकी विज्ञप्ति जारी की गयी थी। अतः यदि विकास प्राधिकरण प्रश्नगत भूमि के अर्ज से मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में प्रकाशित विज्ञप्ति में कोई परिवर्तन चाहता है तो मामले के सभी तथ्यों का विकास प्राधिकरण में रखाकर ठोस प्रस्ताव चाहते हो तो शासन को प्रेषित करें।

शासनादेश के इस सन्दर्भ में सारांश में यह कहना है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 7.5.1986 में यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था कि अपर इण्डिया कूपर पेपर मिल लिमिटेड बनाम लखनऊ विकास प्राधिकरण नामक विभिन्न विवादों से सम्बन्धित अदालती कार्यवाही में काफी समय लग जाने की संभावना है और चूंकि लखनऊ विकास प्राधिकरण की उक्त भूमि अपनी आवासीय समस्या के समुचित रूप से सुलझाने के लिए आवश्यक है। अतः न्यायिक समस्या के समाधान में देरी बचाने की दृष्टि से यह उचित होगा कि सम्बन्धित भूमिपूर्व इसके आसपास की भूमि अर्ज अधिनियम के अन्तर्गत अर्जित कर ली जाये। ताकि भूमि प्राप्त करने में कम से कम देरी हो सके। उक्त तथ्य को दृष्टिगत रखाते हुए इस स्थल पर पेपर मिल कालोनी के पास आवासीय योजना 12.39 एकड़ की बनाई गई थी जिसे प्राधिकरण द्वारा अर्जित करने की अनुमति दे दी गई थी।

तत्पश्चात् जैसा कि ऊपर उल्लेख किया जा चुका है प्राधिकरण के अधिवक्ता श्री उमेशा चन्द्र ने अपनी सहमति में यह मत व्यक्त किया है कि अर्ज के विरुद्ध कम्पनी ने जो रिट माननीय उच्च न्यायालय में दायर की है, उसके प्राधिकरण के पक्ष में निष्पत्ति होने की संभावना कम है। श्री उमेशा चन्द्र ने यह भी कहा है कि इस मामले में कानूनी लड़ाई जोकि काफी लम्बे अरसे से चल रही है तथा भविष्य में भी कानूनी लड़ाई चलने की संभावना को समाप्त करने एवं भूमि के विकास के दृष्टिगत रखाते हुए लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा पेपर मिल कालोनी से समझौता का रास्ता अपनाया जाना हितकर होगा।

अपर इण्डिया कूपर पेपर मिल ने भी श्री के०एन० गोयल भूतपूर्व न्यायाधीश माननीय उच्च न्यायालय तथा भूत पूर्व विधि परामर्शी, उत्तर प्रदेश शासन की राय प्राप्त कर अपने पत्र दिनांक 15.6.1988 के

साथ प्राधिकरण को भेजी है ॥ फोटो प्रति संलग्न है ॥ श्री गोयल ने अपनी राय में यह अस्त व्यक्त किया है कि अर्ज की कार्यवाही भूमि अर्ज अधिनियम समाप्त कर दी जाये और जो भी वाद न्यायालयों में विचाराधीन हैं उन्हें पक्षों द्वारा न्यायालयों से हटा लिया जाय तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 1980 में दिये गये निर्देशानुसार जो ले आउट प्लान पेपर मिल द्वारा विकास प्राधिकरण में प्रस्तुत किया है उसे प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत कर दिया जाये यह दोनों पक्षों के हित में होगा, यदि दोनों पक्षों द्वारा समझौता कर लिया जाये।

अतः उपरोक्त तथ्य एवं दोनों विधिक सम्पत्तियाँ प्राधिकरण के विचार एवं निष्पत्ति प्रस्तुत हैं।

संचालक --अर्ज

सचिव

उपाध्यक्ष

OPINION

Dated..... 18.6.88


To The Director(Land Acquisition)
Lucknow Development Authority,
LUCKNOW

Sir, The Lucknow Development Authority and the Upper India Couper Paper Mills Ltd., Lucknow have been involved in litigation in respect of about 10 Bighas land since 1958. The question ^{was} as to whether the said about 10 Bighas land was covered under the notifications issued under the U.P. Town Improvement Act for its housing scheme. The L.D.A. has lost in the Civil Court and a First Civil Appeal is pending in the High Court in which the L.D.A. is asserting that the said 10 Bighas land was included in the notifications issued under the U.P. Town Improvement Act. One cannot say as to what ultimately the decision would be and even after the decision of the High Court, the matter may be taken to the Supreme Court by the party not succeeding. Litigation since 1958 has been pending and may take another 10-20 years. Realising this, it appears, notifications under Sections 4 and 6 read with Section 17(4) of the Land Acquisition Act were issued on 25.8.86 and 1.9.86 respectively in respect of about 19 Bighas land including the said about 10 Bighas. The Paper Mills have challenged the validity of these notifications and obtained stay order from the High Court. The issue of the notifications dated 25.8.86 and 1.9.86 show that the L.D.A. and the State Govt. have given up their earlier stand that about 10 Bighas land was covered by the notification under the U.P. Town Improvement Act issued on 6.12.58 and 2.12.1959 under Sections 36 and 42, respectively.

The writ petition filed by the Paper Mills would take quite a good few years to be finally decided and during all this period houses etc. cannot be constructed and the same situation may continue as it obtained in 1958. The chances of success of the L.D.A. in the writ petition filed by the Paper Mills challenging the acquisition are even, but the L.D.A. and the State Govt., may instead of fighting a legal battle, adopt a course that houses are constructed in accordance with the housing policy of the State Govt., and the L.D.A., and for this purpose settle the matter with the Paper Mills. The other writ petition

filed by the Paper Mills against the L.D.A. for the issue of a mandamus to sanction its plan would become infructuous, if the settlement with the Paper Mills is arrived. ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

Delay in the construction of houses, whatever be the reason, would add to the cost of construction of houses and would not benefit any party.


(Umesh Chandra)
Advocate,

In re

UPPER INDIA COUPER PAPER MILLS

CO. LTD.

.....

QUERIST

OPINION

M/s. Upper India Couper Paper Mills Co. Ltd. (for short, the Paper Mill) is the lessee of certain Nazul land situated in Nishatganj. The lease was last renewed for 90 years from 1st April, 1942. Under the terms of the lease the ground rent is enhanced by fifty percent after every thirty years and accordingly the Paper Mills have been paying enhanced rent since 1st April, 1972. The lease will thus continue till 31st March, 2032. The lease does not place any restrictions on transfer. On the other hand the expression "lessee" has been defined in the lease as including his "assigns". The only restriction is that the lessee, his assign or transferee will not transfer his rights under the lease until he has paid all the arrears of rent due from him to the lessor on the date of such assignment or transfer. It is further provided that if the arrears of rent are not so paid, the assignee or transferee shall also be equally liable for the arrears of rent due on the date of such assignment or transfer.

R

2. The purpose of the lease includes construction of buildings thereon. The only restriction is that the lessee shall not without the previous consent in writing of the Nazul Officer, erect or suffer to be erected on any part of the leased premises any building other than and except the buildings thereby covenanted and already erected and will not without such consent make any alteration in the plan or elevation of the said buildings or make any subdivision of the leased premises so as to construct more than one building on a specified plot though a building may be shared by more than one person provided that such sharers shall be jointly and severally responsible to the Government for the lease rent.

3. In November-December 1958 notifications under sections 36 and 42 of the U.P. Town Improvement Act, 1916 were issued for acquisition of certain lands. Section 36 of the U.P. Town Improvement Act corresponds to section 4 of the Land Acquisition Act while section 42 of the Town Improvement Act corresponds to section 6 of the Land Acquisition Act. The Special Land Acquisition Officer gave an award on 31-12-73 holding the market value of the land to be Rs.1.05 per square foot.

4. The notifications under the U.P. Town Improvement Act were issued in pursuance of a housing scheme prepared by the then Improvement

Trust, Lucknow. The Improvement Trust was succeeded by the Nagar Mahapalika which in turn was succeeded by the Lucknow Development Authority under the U.F. Urban Planning & Development Act, 1973. The development activities of the Nagar Mahapalika were transferred to the LDA under the said Act. Thus the LDA is the ultimate successor of the erstwhile Improvement Trust, Lucknow. It may be mentioned here that the old notifications under the Town Improvement Act continue to remain in force under the transitory provisions contained in section 59 (6) (a) of the U.F. Urban Planning & Development Act, 1973, read with section 577(a) of the U.F. Nagar Mahapalika Adhiniyam, 1959.

5. In 1983 the LDA tried to take over the possession of certain land comprised in the Nazul lease of the Paper Mill, purporting to act under the said notifications under the Town Improvement Act.

6. The Paper Mill resisted the attempts of the LDA to take over possession, contending that no portion of the land comprised in ^{its} ~~their~~ Nazul lease was covered by the said notifications. The notification dated 6-12-1958 says in para 1 that the Lucknow Improvement Trust has framed a scheme called the "General Improvement and Rehousing Scheme - behind the Paper Mill, Outram Road". In the southern and western boundaries also some plots were mentioned which were described as plots "in possession of Paper Mills". The Paper Mills ^{ed} ~~contending~~ that the land which was the subject matter of the notifications

could not form part of the land held by the Paper Mills because what was notified was land behind the Paper Mills. It accordingly filed a writ petition no.6437 of 1983. This writ petition was dismissed on the ground of laches, but the High Court added that if the Paper Mill be right in its contention that its land was not covered by the notifications it was open to it to obtain relief through a civil suit.

7. Thereupon the Paper Mill filed a civil suit No.291 of 1983 in the Court of Civil Judge, Malihabad at Lucknow impleading the LDA and subsequently the State of U.P. and the Special Land Acquisition Officer also as defendants. This suit was decided on 20-4-85 by the Civil Judge who declared that the plaintiff could not be dispossessed from the disputed land by the defendants under the award dated 31-12-73. The defendants were restrained by perpetual injunction from dispossessing the plaintiff from the four water settling tanks falling in the Paper Mill campus situate in Nishatganj, Lucknow. The boundaries of this land were also specified in the decree passed by the Civil Judge.

8. The LDA filed First Appeal No.89 of 1985 against this decree. The State of U.P. and the S.L.A.O. however did not file any appeal and have been arrayed as proforma respondents in the First Appeal. No stay order was granted by the High Court at the instance of L.D.A. in this appeal.

9. It is undisputed that the Special Land Acquisition Officer has not yet taken possession of the disputed land and accordingly the LDA has also not been able to obtain possession thereof.

10. The First Appeal is still pending in the High Court. The main ground of appeal is that the finding of fact recorded by the Civil Judge is incorrect. The judgment of the Civil Judge shows that the Paper Mill was about a hundred years old and that four settling tanks were an essential part of the Mill. The plans filed by the defendants in the case and the copies of khasras filed by them did not show any such tanks in the plots sought to be acquired. The land was described in the notification as situated "behind" and Paper Mill. The plot numbers shown in the boundaries in the notification as in the possession of Paper Mill could also not be included in the land proposed to be acquired. Considering these circumstances the Civil Judge expressed the view that the settling tanks which were an integral part of the Paper Mill and without which the manufacturing process could not have physically possible were never included in the scheme of the Improvement Trust or in the notifications under sections 36 and 42. It does not appear that these findings suffer from any patent error, and the onus of displacing the findings before the High Court in the First Appeal will squarely lay on the LDA.

11. The Paper Mill had in the meantime taken a considerable amount of money on loan from the U.P. State Financial Corporation and had also executed a mortgage of their land and buildings in favour of the said Corporation. The Paper Mill having become a defaulter the Corporation started proceedings for taking possession over the mortgaged property and for sale of the same in exercise of their rights under section 29 of the State Financial Corporations Act, 1951. Aggrieved by this action the Paper Mill filed a writ petition No.2348 of 1979 against the Corporation. In that writ petition an interim order was passed by the High Court on 22-10-80 which permitted the Corporation to sell a block of land which was 2,10,650 square feet which the Court felt should suffice for realisation of the amount due from the Paper Mill to the Corporation. The Paper Mill undertook to deliver vacant possession of the said block inasmuch as some staff quarters, bungalows etc. were also situated on that land. It was also ordered that if the sale proceeds fell short of the demand of the Corporation it would be open to the Corporation to apply to the Court for permission to sell any part of the remaining mortgaged property. This order was slightly modified by another order dated 12-12-80 whereby certain other land was also permitted to be sold by the Corporation. The order dated 22-10-80 also permitted the Paper Mills to take necessary steps for ~~plotting out the land and~~

prepare ^{up} a housing scheme so that the property may

realise an adequate price. Accordingly plans were submitted by the Paper Mill to the LDA in respect of a housing scheme and for permission to make constructions thereon. It seems that the Financial Corporation subsequently withdrew its recovery certificate on 10th March, 1981 and thereupon it also wrote a letter the Secretary, Local Self-Government on the same date recommending that necessary exemption/permission for sale of land may be accorded to the Paper Mill so that the Paper Mill may be able to repay the loan of the Corporation from out of the sale proceeds. Thus the Paper Mill's plans are pending with LDA since 22-12-80 when they were submitted in pursuance of the aforesaid two interim orders of the Hon'ble High Court.

12. The matter was examined in the Nazul department of the LDA, and the Nazul department, as appears from a certified copy of its report, recorded that it had no objection to the grant of permission/sanction of the said plans. No final orders of LDA were however issued even after this report as the LDA was disinclined to grant any such permission because according to it the land was included in their own housing scheme (though the Civil Court had not accepted this).

13. The Paper Mill in the month of May, 1986 filed a writ petition no.3484 of 1986 praying that a writ of Mandamus be issued against the LDA for

according sanction to the plans pending with them since December, 1980 as the LDA being a statutory authority was bound to act in accordance with the provisions of the statute governing it.

14. The LDA, faced with the situation that its earlier plans to take possession over the disputed land on the basis of notifications of 1958 and 1959 had gone awry due to the decree of the Civil Court and non-grant of any order by the High Court staying the operation of that decree, submitted a proposal to the Government through the Collector Lucknow that fresh notifications under sections 4 and 6 read with section 17 of the Land Acquisition Act for purposes of L.D.A's housing scheme may be issued for acquisition of the land. The Collector had originally forwarded this proposal to the Government but later he wrote two letters asking the Government to refrain from acting on the proposal because the proposal suffered from some technical flaws and also because the LDA had failed to deposit large amounts of compensation in respect of lands already notified at its instance. It may be noted here that under a recent amendment 80% of the proposed compensation is required to be paid to the land owners even before possession is taken. In fact there were Government orders to the effect that where a Development Authority fails to deposit sufficient amounts of compensation for payment to the land owners no further land be acquired for it and accordingly the LDA was also

covered by this directive of the Government. However it appears that despite the Collector's rethinking on the subject as reflected in his two letters to the Government the latter went ahead with the original proposal and accordingly issued a notification under section 4 read with section 17 on 25-8-86, followed by a notification under section 6 read with section 17 on 1-9-86.

15. The Paper Mill again filed a writ petition no.6363 of 1986 against these notifications and the High Court granted stay order in its favour. This writ petition along with writ petition No.3484 of 1986 mentioned earlier are pending with the High Court and have been linked together.

16. In the meantime the Paper Mill came across a G.O.No.4480/37-2-86, dated 27th October, 1986 issued by the Awas Anubhag-2 to the Housing Commissioner and to all Administrators of Nagar Mahapalikas and to all Vice-Chairmen of Development Authorities and to Administrators of Municipal Boards in the State. This G.O., which is in Hindi, may be freely translated as follows :-

"In continuation of G.O.No.8461/37-84-29, dated 25-4-84 I am directed to state that various problems relating to land acquisition have been coming up before the Government. Among them an important question is, in what circumstances should land developed or purchased by cooperative societies or colonisers or builders be acquired or released.

b

Till now there was no general policy laid down on the subject. In respect of future action the following decisions have been taken :-

"(1) If any cooperative society has entered into a registered agreement for purchase of any land or has purchased land through registered sale deed then such land should not normally be acquired for the development of any housing scheme except in special circumstances when such acquisition appears to be absolutely necessary. However while releasing such land in favour of the cooperative society the society will be required to agree to the development of such land according to a fixed time table. It will have to get its lay out plan sanctioned by the Development Authority or the Prescribed Authority. Where the area of external development falls within the territorial jurisdiction of a Development Authority the society will have to deposit the cost of external development with that Authority. The society may itself undertake the internal development but it will have to obtain approval of the Development Authority for the details of such development and will also have to deposit such necessary security with the Development Authority as may be fixed by the latter to ensure its satisfactory completion.

"(2) Likewise if private builders or colonisers enter into registered agreement in respect of any land and prepare lay out plans for its development and also submit such lay out plans

to the concerned Development Authority for sanction then normally such land shall not be acquired. Here again it will be necessary that lay out plan should have been submitted to the Development Authority by the colonisers even before approval of the proposal for land acquisition. Further the conditions mentioned above in respect of cooperative societies will govern these cases as well.

"(3) The intention behind these directions is to secure, through directives issued at Government level, uniformity in the functioning of all the Development Authorities. If however any particular cooperative society or coloniser abuses these guidelines or enjoys a bad reputation then it will not be entitled to the benefit of this directive. The Government's viewpoint is to let the private sector and the cooperative sector contribute ~~to~~ ^{to their} mite to the development of housing, and to let the Development Authorities concentrate on maximum utilisation of their scarce resources in areas where such cooperative society or private colonisers are not available. The Development Authorities will however ensure that the lay out plans or the development plans submitted by the societies or colonisers should harmonise with the lay out and zonal plans of the Development Authority in the rest of the area under its jurisdiction and also that cooperative societies^{or} or colonisers develop the areas properly. For this purpose the Development Authority should maintain adequate supervision over the carrying out of the development and ^{to} obtain adequate security from them."

17. The words "isee prakar" appearing at the beginning of sub-para (2) of this G.O. have been translated above as "likewise". These words indicate that the reference to "registered agreement" occurring in sub-para (2) has to be construed as a reference to a registered agreement for purchase of the land or registered sale deed of land as mentioned in sub-para(1).

18. In the instant case the Paper Mill has already got a registered lease of the Nazul land in its favour. That lease is still in force and will continue to be in force for another 44 years without requiring any renewal. As noted at the outset the Nazul lease does not prohibit absolutely the transfer of land or the execution of a housing scheme thereon. Indeed transfer is clearly permitted. In the instant case it has been seen that the Nazul Department of the LDA has no objection to the grant of permission for execution of a housing scheme either. The only hindrance in the grant of sanction by LDA is that the LDA wants to carry out a housing development scheme prepared by itself on the land, and for this purpose submitted a proposal to the State Government through the Collector for acquisition of the land. The very proposal submitted by the LDA makes it clear that there is no objection on its part to the execution of ^a housing scheme on the land. The LDA (which manages the Nazul) itself wants to execute a housing scheme on it and the State Government has also accepted L.D.A's proposal and issued notifications for land

by

acquisition for that purpose. The dispute is thus only about which agency, — the LDA or the lessee, — is to execute the housing project. The language of the G.O. dated 27-10-86 is quite categorical and in accordance with the same it is the lessee who should be permitted to execute the housing scheme instead of the LDA trying to waste its limited resources over it. The Government expects the LDA to utilise its resources, if any surplus resources are still available, elsewhere, i.e., in areas where a reliable cooperative society or a reliable builder or coloniser is not available. There is no suggestion that the Paper Mill is not a reliable party. On the other hand it seems to be in the interest of U.P. State Financial Corporation, which is also an instrumentality of the State Government, that the Paper Mill should itself execute the scheme and not the LDA., because in the former case the Paper Mill will be able to realise much more money which will be available for liquidating the dues of the Corporation speedily.

19. It is now settled law that even purely executive instructions, as distinguished from 'law', are enforceable in courts. So far as the G.O. dated 27-10-86 is concerned, it is not a mere executive instruction which either the issuing authority or the LDA may ignore at its will. Section 41(1) of the U.P. Urban Planning & Development Act, 1973 provides that the Development

Authority, the Chairman or the Vice-Chairman shall carry out such directions as may be issued to it from time to time by the State Government for the efficient administration of this Act. The G.O. dated 27-10-86, in so far as it is addressed to Development Authorities, is thus a statutory direction under section 41(1) and as such binding on the LDA and its Chairman and Vice-Chairman.

20. The directive contained in G.O. dated 27-10-86, can be enforced through Court not only against the LDA but also against the State Government. In the well known case of R.D. Shetty v. I.A.A. (1979) 3 SCC 489 the Supreme Court observed that with the tremendous expansion of welfare and social service functions by the State the power of the executive Government to affect the lives of the people is steadily growing, which renders it necessary for the courts to control the exercise of that power so as to prevent its arbitrary application or exercise. The Supreme Court relied on an American decision for holding that an executive agency must be rigorously held to the standards by which it professes its actions to be judged. In Amarjit Singh Ahluwalia v. State of Punjab (1975) 3 SCC 503 it was observed that even if a Government order be in the nature of administrative instruction not having the force of law the Government cannot at its own sweet will depart from it without rational justification. That would be destructive of the right to equality. Article 14 of the Constitution

(fundamental right to equality) embraces the principle of rationality and strikes against arbitrary and discriminatory action.

21. In the instant case the plans were submitted by the Paper Mill as far back as in December, 1980 while the proposal for land acquisition was sent by the LDA and acted upon by the State Government in 1986. Of course the notifications under the Land Acquisition Act had been issued earlier than this G.O. dated 27-10-86, but the G.O. contemplates not merely refraining from proceeding with land acquisition proceedings but also release of land covered by land acquisition proceedings. The very first main para uses the words "ya chhor diya jaye". Sub-para (1) also speaks of "adhigrahan chhote samay". Thus this G.O. covers not only cases of future issue of land acquisition notifications but also release in future from acquisition under notifications already issued, — at any rate cases in which land acquisition proceedings remain pending at some stage even though notifications have been issued earlier. A case in which possession still remains to be taken and the taking of possession has been stayed by Court will certainly be covered by the G.O..


22. It is undisputed, as noted earlier, that the land continues to be in the possession of the Paper Mill. Accordingly the proceedings under the Land Acquisition Act cannot be said to have finally come to an end in the instant case.

23. The G.O. dated 27-10-86 should equally cover the earlier notifications of 1958-59. Indeed the earlier notifications of 1958-59 have virtually been conceded by the LDA and the Government not to cover the disputed land, for this is what the issuance of the new notifications dated 25-8-86 and 1-9-86 implies. The Civil Court's finding on the subject is already against the State Government and the LDA, and only the LDA has gone in appeal against it. Even the LDA apparently did not feel confident of its success in the appeal, and that is why it submitted a fresh proposal for acquisition.

24. The new notifications dated 25-8-86 and 1-9-86 have taken the help of section 17 of the Land Acquisition Act. Section 17, it is axiomatic, can be resorted to only in cases of urgency. Whether the matter was really urgent is no doubt firstly for the satisfaction of the State Government, but even that subjective satisfaction is not immune from judicial review. In Narain Govind Gayate v. State of Maharashtra (1977) 1 SCC 133 it was held that the formation of an opinion or the satisfaction of the Government as to urgency is a condition precedent to the exercise of the power, and the Courts can always examine whether a condition precedent to the exercise of a statutory power was fulfilled or not. Accordingly the Government's opinion on urgency can be challenged on three grounds, namely :-

(1) on the ground of mala fides;

(2) on the ground that the authority did not apply

 its mind to the material on which it formed

the opinion or arrived at the satisfaction;
(3) on the ground that the material on which it formed its opinion or reached the satisfaction was so insufficient that no man could reasonably reach that conclusion.

(See paras 11 and 24 of the Report)

25. In the case before us we find that the Improvement Trust first initiated action in respect of the scheme in 1958. Thereafter little progress seems to have been made until December, 1973 when the Special Land Acquisition Officer gave his award. Almost ten years thereafter, the LDA tried to take possession of the land. This attempt was made almost three years after the Paper Mill had already submitted its plotting and housing plans in pursuance of the interim orders of the High Court in the litigation between the Paper Mill and the Financial Corporation. Thus the fact that the matter has been hanging on for over twenty-six years prior to the issue of the notifications dated 25-8-86 and 1-9-86 and the further circumstance that if LDA genuinely felt that the housing situation required urgent action to be taken then it was easy for it to have sanctioned the Paper Mill's own plans submitted on 22-12-80, are factors to which the Government should have applied its mind when considering the question of urgency. It does not seem even to have applied its mind to the two letters of the Collector seeking to withdraw his earlier proposal for land acquisition. The courts

are no doubt normally reluctant to interfere with the subjective satisfaction of the Government. On the special facts and in the circumstances pointed out above it should not however be difficult for the Paper Mill to persuade the court that the Government had failed to apply its mind to the relevant circumstances and that for this reason the Government's purported satisfaction as to urgency was vitiated. It would be a case of non-application of mind or malice in law even though no factual malice be attributable to the Government or to the LDA. So far as the LDA is concerned there may be no animus on its part towards the Paper Mill but the LDA is standing more on prestige than showing interest in speedy execution of housing plans. A statutory authority is not expected to stand on false prestige and thereby to delay the execution of the housing plans required in the public interest.

26. To sum up :-

(1) In view of the finding of Civil Court the land in dispute is not covered by the notifications of 1958-59, and a heavy onus lies on the LDA to displace the finding of fact recorded on the point by the Civil Judge. The circumstances relied on by the Civil Judge in support of his finding are relevant and valid.

b (2) The notifications dated 25-8-86 and 1-9-86

are vulnerable on the ground of non-application of mind by the Government to the relevant facts and circumstances mentioned above.


(3) The G.O. dated 27-10-86 has statutory effect under section 41(1) of the U.P. Urban Planning & Development Act, 1973 and is as such binding on the LDA..

(4) The said G.O. dated 27-10-86 can be enforced against the State Government as well on the principles laid down in Shetty's case and Ahluwalia's case decided by the Supreme Court (referred to above).

(5) In view of the terms of the said G.O. the Government and the LDA are expected to release the disputed land from acquisition proceedings and can withdraw from the same under section 48 of the Land Acquisition Act inasmuch as they have not been able to take possession of the land so far.

(6) It will be in the public interest and also in the interest of parties, namely, the Paper Mills and LDA, that the lengthy and tortuous litigation between the parties be brought

to an end by a compromise between them whereby acquisition proceedings be dropped and the writ petitions and the First Appeal, which has in effect become infructuous because of the fresh land acquisition notifications of 1986, be formally withdrawn from the High Court by the respective parties and the plans submitted by the Paper Mill on 22-12-80 be sanctioned under the U.P. Urban Planning and Development Act, 1973 as required by G.O. dated 27-10-1986 and their speedy execution be ensured as per mutual agreement.



(K. N. GOYAL)

Lucknow: June 13, 1988.

विषय संख्या: 28

Revised

विषय: रायबरेली रोड योजना में प्राइवेट बिल्डर्स को आवंटित भूमि की दर के सम्बन्ध में ।

आख्या: दिनांक 18-10-86 में निजी भावन निर्माताओं को राय बरेली रोड योजना में भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में निजी भावन निर्माताओं के साथ एक बैठक हुई थी, जिसमें भूमि की दर रु 40/- प्र०व०मी० लिये जाने का निर्णय लिया गया था । चूंकि उस समय तक राय बरेली रोड योजना में भूमि की दरों के सम्बन्ध में कोई अभिनिर्णय घोषित नहीं हुआ था, अतः यह सोचा गया कि कानपुर रोड योजना भाग-3 की अपेक्षा रायबरेली रोड योजना ॥ कानपुर रोड योजना भाग-4 ॥ में अभिनिर्णय अधिक दर से घोषित होगा । तदनुसार भूमि की दर रु 40/- प्र०व०मी० निकाली गई थी ।

2. कानपुर रोड योजना भाग-3 में मे० अंसल को भूमि आवंटित की गई थी, जिसमें भूमि की दर रु 30/- प्र०व०मी० ली गई थी । यह दर कानपुर रोड योजना भाग-3 में घोषित अभिनिर्णय के अनुसार निकाली गई थी तथा इसका अनुमोदन प्राधिकरण ने अपनी बैठक दिनांक 26-7-86 में किया था ।

3. कानपुर रोड योजना भाग-4 ॥ राय बरेली रोड योजना ॥ में अभिनिर्णय माह जनवरी, 88 में घोषित किया गया जिसमें प्रतिर की दर वही रखी गई, जो कि कानपुर रोड योजना भाग-3 में निर्धारित की गई थी । इस प्रकार दोनों भागों में प्रतिर की दर में कोई अन्तर नहीं रखा गया ।

4. उपरोक्त के सम्बन्ध में जिन प्राइवेट बिल्डर्स- मे० युनिटेक लि० तथा मे० एल्डिको को कानपुर रोड योजना भाग-4 ॥ रायबरेली रोड योजना ॥ में भूमि आवंटित की गई है, उन्होंने रु 30/- प्र०व०मी० की ही दर से भूमि की लागत लेने हेतु अनुरोध किया है ।

प्रस्ताव
=====

चूंकि कानपुर रोड योजना भाग-3 तथा कानपुर रोड योजना भाग-4 ॥ रायबरेली रोड योजना ॥ में घोषित अभिनिर्णय के अनुसार भूमि के प्रतिर की दर एक समान है । अतः उक्त भाग-4 में आवंटित प्राइवेट बिल्डर्स से भी भूमि की दर वास्तविक लागत के अनुस्र दर रु 30/- प्र०व०मी० की दर से लिये जाने का प्राधिकरण कृपया निर्णय लेना चाहे ।

विषय सूची: २९

- विशेष प्रस्ताव: डा० वी०एन० सन्ना द्वारा प्राधिकरण के कर्मचारियों के मैरीटोरियस बच्चों को छात्रवृत्ति {स्कालरशिप} दिये जाने का प्रस्ताव।
- निर्णय: विचारोपरान्त सिद्धान्त रूप में प्रस्ताव स्वीकार किया गया तथा निर्देश दिया गया कि स्कीम बनाकर प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जायें।

प्राधिकरण द्वारा पारित उक्त निर्णय के अनुपालन में निम्न मार्ग निर्देशन सिद्धान्त प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत है।

- § 1 § मेधावी छात्रों का चयन एक समिति द्वारा किया जायेगा, जिसके निम्नलिखित सदस्य होंगे:-
- § 1 § सचिव, विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
- § 2 § संयुक्त सचिव {अधीनस्थ}, विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
- § 3 § मुख्य लेखाधिकारी, विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
- § 2 § विकास प्राधिकरण में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी के पुत्र व पुत्री जो निम्नलिखित योग्यता रखते हों, को छात्रवृत्ति देय होगी:
- 1- इन्जीनियरिंग/बी०ई०/बी०टेक सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था में अध्ययन कर रहा हो। ऐसे छात्रों को रू० 400/- प्रतिमाह दिया जायेगा।
 - 2- मेडिकल: एम०बी०बी०एस०/बी०ए०एम०एस० आदि कोर्स सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं में कर रहे हों, ऐसे छात्रों को रू० 400/- प्रति माह दिया जायेगा।
 - 3- जो छात्र एम०बी०ए० अहमदाबाद, बेंगलूर, कलकत्ता तथा लखनऊ से कर रहे होंगे उनको तथा जो इन्स्टीट्यूट आफ मैनेजमेन्ट से कर रहे होंगे, उनको रूपया 400/- प्रतिमाह छात्रवृत्ति देय होगी।
 - 4- जो छात्र उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं पालीटेकनिक/आई०टी०आई० में डिप्लोमा कर रहे होंगे उन्हें रू० 200/- प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति देय होगी।
 - 5- हाईस्कूल, इन्टरमीडिएट, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों को जो प्रथम श्रेणी प्राप्त करते हैं, उनको उत्साहवर्धन के रूप में नगद पारितोषिक के रूप में क्रमशः रू० 1,000/-, 2000/-, 2,500/- तथा 3,000/- देय होगी।
- § 3 § ऐसे छात्र जो उक्त छात्रवृत्ति/पारितोषिक के दावे प्रस्तुत करते हैं, समुचित प्रमाण-पत्र के साथ समिति के समक्ष रखे जायेंगे, जिसपर समिति अपना निर्णय लेगी।
- § 4 § यदि कोई छात्र मेडिकल/इन्जीनियरिंग, एम०बी०ए०/आई०टी०आई० की आन्तरिक परीक्षा में असफल हो जाता है तो छात्रवृत्ति बन्द कर दी जायेगी।
- § 5 § किसी भी बिन्दु पर विवाद के बारे में उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण का निर्णय अन्तिम होगा।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक
 = = = = =
 7 जुलाई, 1988 का कार्यवृत्त
 = = = = =

उपस्थिति:

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. श्री बृजेश कुमार | अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण,
एवं आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ । |
| 2. श्री शौलेश कृष्ण | उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण
एवं प्रशासक, नगर महापालिका । |
| 3. श्री शॉकर अग्रवाल | संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन,
आवास एवं नगर विकास विभाग । |
| 4. श्री सुरेश चन्द्र दिक्षित | संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन,
वित्त विभाग । |
| 5. श्री जे० पी० भार्गव | मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक,
उत्तर प्रदेश । |
| 6. श्री आशुतोष त्रिपाठी | अधीक्षणा अभियन्ता,
उत्तर प्रदेश जलनिगम, लखनऊ । |

अन्य उपस्थिति:

श्री दिवाकर त्रिपाठी सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण ।

विशेष आमन्त्री:

श्री राम नगिना सिंह

x x x x x

- विषय संख्या: 1 लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक
9 अप्रैल, 1988 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण ।
- निर्णय : लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक
9 अप्रैल, 1988 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई ।
- विषय संख्या: 2 लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक
9 अप्रैल, 1988 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन
आख्या ।
- निर्णय : लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक
9-4-88 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या
का अवलोकन किया गया तथा निम्नांकित निर्देश
दिये गये :-
1. नगर विकास की मुख्य दिशा निश्चित करने
हेतु दीर्घकालीन प्लान तैयार करके रखा जाये ।

कृष्णः—

2. गोमती नगर योजना में प्रस्तावित इन्द्रा मेमोरियल के पुराने डिज़ाइन अच्छे नहीं हैं। अतः द्वारा कम्पटीशन कराकर डिज़ाइन का चयन किया जाये। चयन समिति में श्री उत्तम जैन, रीजेन्ट चैम्बर, नारीमन-प्वाइन्ट, बम्बई को भी नामित किया जाये। श्री भार्गव, मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक तथा अन्य माननीय सदस्यों ने अपना मत व्यक्त किया कि ऐसे प्रेसटीजियस मेमोरियल के लिये ऐसे आर्किटेक्ट जिन्हें द्वितीय श्रेणी के लिये ही उपयुक्त पाया गया, उसको इस प्रोजेक्ट के लिये नियुक्त करने हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण उत्तर-दायित्व नहीं लेना चाहता। अतः उपरोक्त मंतव्य के साथ शासन को शीघ्र निर्णय हेतु पत्र भेजा जाये। यह भी निर्णय हुआ कि शासन को यह भी लिखा दें कि समिति की अध्यक्षता मुख्य सचिव से करने का निवेदन कर लिया जावे।
3. संयुक्त सचिव वित्त ने बताया कि राजस्व-विभाग ने वित्त विभाग को सूचित किया है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा काश्तकारों को ₹ 50.00 करोड़ भुगतान करना है, इसे रेज़र्रिअर आफ़ लैन्ड रेवन्यु वसूला जाये। इसके अतिरिक्त कलेक्टर ने भी शासन को लिखा है कि जबतक 50.00 करोड़ स्पया बकाया का भुगतान न हो जाये तबतक अर्जन की कार्यवाही न की जाये। विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि ₹ 50.00 करोड़ शार्ट टर्म लोन ₹ पाँच वर्षों में भुगतान के लिये शासन को प्रस्ताव भेजा जाये।

विषय संख्या: 3

निर्णय :

बीस सूत्रीय कार्यक्रम से सम्बन्धित प्रगति आख्या।

प्रगति का अवलोकन किया गया और निर्देश दिया गया कि आर्थिक दृष्टि से दुर्बल वर्ग के लिये भावनों का निर्माण बन्द करके साइड रेण्ड सविस्त्र के भूखण्ड विकसित किये जायें। इसके लिये मुख्य अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण मन्थाली टारगेट दशार्थ और पूर्ति सुनिश्चित करें। किसी भी दशा में "ए" कैटागिरी से नीचे उपलब्ध न रहे।

क्रमशः-----

विषय संख्या: 4

भूखण्ड संख्या: 424 टी0जी0न्यु सिविल लाइन्स पर बहुखण्डीय आवासीय भवन की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

निर्णय :

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि ग्रुप-हाउसिंग की सामान्य नीतियों और प्रस्तावित बिल्डिंग पालिसी के परिपेक्ष्य में प्रस्ताव का परीक्षण कर लिया जाये तथा प्रस्तावित हाउसिंग योजनाओं के पट्टेदार द्वारा अर्जित लाभ से कितना अंश प्राधिकरण को बहु आवासीय यूनिट निर्माण हेतु अनुमति देने के स्वरूप में लेना चाहिये, इसका भी परीक्षण कर लिया जाये ।

विषय संख्या: 5

डा0 ज्ञानेन्द्र वर्मा, संचालक॥अर्जन॥ का कार्यकाल बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में ।

निर्णय :

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि डा0 ज्ञानेन्द्र-वर्मा की संचालक॥अर्जन॥ के पद पर एक वर्ष और कार्यरत रहने की स्वीकृति वर्तमान शर्तों पर प्रदान की जाती है ।

विषय संख्या: 6

लखनऊ विकास प्राधिकरण की योजनाओं हेतु हस्तान्तरित नज़ूल भूमि के मूल्य निर्धारण के सम्बन्ध में ।

निर्णय :

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि जिस प्रकार लैन्ड एक्स्प्लोरेशन ऐक्ट में काश्तकारों की भूमि अधिग्रहण करते समय सुआवज़ा देते समय मूल्य निर्धारित किया जाता है उसी प्रकार विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरित करते समय नज़ूल भूमि का बाज़ार मूल्य निर्धारित किया जाये ।

विषय संख्या: 7

प्राधिकरण की योजनाओं हेतु एक बुलडोजर क्रय के सम्बन्ध में ।

निर्णय :

विचार विमर्श के पश्चात् निर्देश दिया गया कि यथोचित विश्लेषण ॥प्रापर इनालिसिस॥ पूर्ण रूप से उपलब्ध कराये जाने के पश्चात् ही कोई निर्णय लिया जाना सम्भव हो सकेगा ।

विषय संख्या: 8

श्री एस0 मजूमदार, विद्युत सलाहकार की कार्य अवधि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में ।

निर्णय :

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि श्री एस0 मजूमदार, को परामर्शदाता के रूप में नियुक्ति की तिनांक 23 जुलाई, 1988 से एक वर्ष की अवधि के लिये प्रस्तावित शर्तों पर स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

क्रमशः-----

विषय संख्या: 9

उत्तर प्रदेश योजना एवं विकास अधिनियम के अन्तर्गत नियम उपविधियों में संशोधन के सम्बन्ध में ।

निर्णय :

विचार विमर्श के पश्चात् मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक द्वारा प्रस्तावित प्रतिबन्धों के साथ प्रस्ताव अनुमोदित किया गया । यह भी निर्णय लिया गया कि इन उपनियमों को प्रारम्भ से स्वीकृति की प्रत्यागात में इस हद तक लागू किया जाये जिस हद तक वर्तमान नियमों का शास-
वायत्वान § Gross Violation §
न हो ।

विषय संख्या: 10

श्रीमद् दयानन्द बाल सदन को लीज की गई भूमि में लीज की शर्तों में शिथिलता के सम्बन्ध में ।

निर्णय :

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि इस शर्त के साथ स्वीकृति दी जाती है कि वर्किंग वीमेन्स हास्टल की प्रवन्ध समिति में लखनऊ विकास प्राधिकरण का कोई उच्च स्तरीय अधिकारी भी नामित होगा ।

विषय संख्या: 11

इन्डियन इन्स्टीट्यूट आफ मैनेजमेन्ट को आवन्तित भूमि के भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में ।

निर्णय :

विचार विमर्श के पश्चात् प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।

विषय संख्या: 12

श्री के०एन०शुक्ला को विद्यमान आवासीय प्रयोग के विस्तार एवं परिदृश्य की अनुमति के सम्बन्ध में ।

निर्णय :

प्रस्ताव स्थागित किया गया ।

विषय संख्या: 13

सीतापुर रोड योजना के सेक्टर "ए" एफ के निकट 213 ई०डब्लू०एन०, 23 एम०आई०जी० तथा 16 एच०आई०जी० भावनों के निर्माण के सम्बन्ध में ।

निर्णय :

प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।

विषय संख्या: 14

तकनीकी शिक्षा संस्थान को आवंटित भूमि पर टोकेन लीज़रेन्ट लिये जाने के सम्बन्ध में ।

निर्णय :

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि केन्द्रीय विद्यालय अलीगंज की भांति ही तकनीकी शिक्षा संस्थान से भी टोकेन लीज़रेन्ट लिया जाये ।

विषय संख्या: 15

प्रभारती अधिकारी § भावन § अण्ड के सामन सम्बन्धी कार्यवाही हेतु उत्तर प्रदेश योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-32 के अन्तर्गत शक्तियों का प्रतिनिधित्व ।

निर्णय :

विचार विमर्श के पश्चात् निर्णय लिया गया कि जहाँ कोई डिस्कीशन नहीं है बल्कि फारमूला के अनुसार सामन होता हो वहाँ उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा 32 के अधीन अधिकारों व शक्तियों का प्रयोग प्रभारती अधिकारी § भावन-1, 2, 3 § कर सकते हैं, जोषा मामलों में उक्त अधिकार एवं शक्तियों का उपयोग करने हेतु सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण को प्राधिकृत किया जाता है ।

विषय संख्या: 16

मेसर्स मोटर सेल्स लि. 11- महात्मागाँधी मार्ग, लखनऊ द्वारा अपने वर्तमान आवन में परिवर्तन हेतु दिये गये मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

निर्णय :

विचारोपरान्त निर्देश दिया गया कि आख्या स्पष्ट नहीं है । जो गाइड लाइन्स विल्ट अप एरिया के लिये निर्धारित की गई थीं उनके अनुसार परीक्षण करके आख्या आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाये ।

विषय संख्या: 17

अभियन्त्रण कार्य एवं सम्पत्ति विभाग से सम्बन्धित सुचनाएँ ।

निर्णय :

प्रगति आख्या का अवलोकन किया गया ।

विषय संख्या: 18

अर्जन विभाग में कार्यरत सहायक अभियन्त्रणों/अवर अभियन्त्रणों को अर्जन कार्य हेतु विशेष वेतन दिये जाने के सम्बन्ध में ।

निर्णय :

विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव अस्वीकृत करते हुए निर्देश दिया गया कि विशेष वेतन के स्थान पर अच्छा कार्य करने वाले अधिकारी/कर्मचारी को पुरस्कार प्रदान करना चाहें तो प्रस्ताव लाया जाये ।

- विषय संख्या: 19 गाजियुद्दीन हैदर कैनाल के बन्धा तथा प्राणि उद्दयान हेतु भूमि का अर्जन ।
निर्णय : विचार विमर्श के पश्चात् इस शर्त के साथ स्वीकृति प्रदान की गई कि शासन सुआवज़े की धारणा उपलब्ध करायेगा ।
- विषय संख्या: 20 नवीन अलीगंज आवासीय योजना हेतु भूमि का अर्जन ।
निर्णय : विचार विमर्श के पश्चात् निर्णय लिया गया कि प्रस्तुत प्रस्ताव की स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ दी जाती है कि उक्त योजना केवल ग्रुप-हाउसिंग हेतु प्रयुक्त की जायेगी ।
- विषय संख्या: 21 इन्डस्ट्रियल एरिया शेषावाग लखनऊ के भूखण्ड संख्या: 151 को मोतीझील आवास योजना में सम्मिलित रखने या पृथक करने पर विचार ।
निर्णय : विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि श्री जुगल किशोर के भूखण्ड संख्या: 151, इन्डस्ट्रियल एरिया, शेषावाग लखनऊ को अर्जन प्रस्ताव से पृथक कर दिया जाये ।
- विषय संख्या: 22 विधान सभा मार्ग पर व्यवसायिक कम आवासीय योजना ।
निर्णय : विचार विमर्श के पश्चात् निर्देश दिया गया कि मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक द्वारा स्थल निरीक्षण के पश्चात् आख्या आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाये ।
- विषय संख्या: 23 अर्जन विभाग की लम्बित योजनाओं के सम्बन्ध में आख्या ।
निर्णय : समयाभाव के कारण प्रस्ताव आगामी बैठक हेतु स्थगित किया गया ।
- विषय संख्या: 24 सीतापुर रोड योजना के सेक्टर "जी" के सामने ग्राम सिकन्दरपुर इनायत अली में 106 ई0डब्लू0स्त0 भावनों का निर्माण ।
निर्णय : विचार विमर्श के पश्चात् प्रस्ताव यथावत् अनुमोदित किया गया ।

- विषय संख्या: 25 आवासीय क्षेत्र में होटल बनाने की अनुमति के सम्बन्ध में ।
- निर्णय : विचारोपरान्त निर्देश दिया गया कि मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक, उत्तर प्रदेश से स्थल निरीक्षण कराकर आख्या आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाये ।
- विषय संख्या: 26 गोमती नगर योजना में मे० इन्डियन होटल लि०, नई दिल्ली § ताज ग्रुप § को होटल निर्माण हेतु भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में ।
- निर्णय : विचारोपरान्त प्रस्ताव स्वीकृत किया गया तथा अनुबन्ध की शर्तों में निम्नांकित शर्तों पर प्रस्तावित किये गये :-
- § 1 § रेगुलेशन के क्लॉज § डी § में निम्नवत् अंकित किया जाये :
- The licensee may construct temporary wooden shelters, the purpose and design of which will be approved by Lucknow Development Authority.
- (2) The land will be allotted on token license fee of Rs. 10,001/- per year.
- (3) The period of license will initially be for 30 years. Before expiry of 30 years the license will be renewable for further 30 years on agreeable terms and conditions.

कृपया:-----

- विषय संख्या: 27 अपर इन्डिया कूपर पेपर मिल लि० कम्पनी की अर्जित भूमि के सम्बन्ध में विचारार्थ आख्या ।
- निर्णय : समयाभाव के कारण प्रस्ताव स्थगित किया गया ।
- विषय संख्या: 28 रायवरेली रोड योजना में प्राइवेट विल्डर्स को आवन्तित भूमि की दर के सम्बन्ध में ।
- निर्णय : प्रस्ताव इस कारण से अस्वीकृत किया गया कि बूकें भूमि की लागत और वाह्य विकास शुल्क के स्व में ₹ 100/- प्रति वर्ग मीटर की सम्मिलित दर घोषित करते हुए विल्डर्स से आफर माँगने के बाद इस दर के आफर पर दो विल्डर्स को चयन किया गया एवं शोषा रद्द कर दिये गये । इसके बाद अब दर में किसी भी कारण से कमी करना उचित नहीं है ।
- विषय संख्या: 29 प्राधिकरण के अधिकाधिकारियों/कर्मचारियों के मैरिटोरियस वच्चों को छात्रवृत्ति दिये जाने के सम्बन्ध में ।
- निर्णय : प्रस्ताव इस शर्त के साथ अनुमोदित कि केवल अकेन्द्रित वर्ग तीन व चार के कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों पर लागू होगी ।
- विशेष प्रस्ताव : लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 6 सितम्बर, 1986 से 3 फरवरी, 1988 तक हुई समस्त बैठकों में लिये गये निर्णयों की प्रस्तुत अनुपालन आख्या की समीक्षा की गई तथा निम्नांकित निर्देश दिये गये :-
- §1§ जिन निर्णयों के सम्बन्ध में कार्यवाही शासन स्तर पर लम्बित है उनकी संहत सूची शासन को भोज दी जाये तथा निस्तारणा हेतु पैरवी की जाये ।
- §2§ प्राधिकरण की बैठक दिनांक 11-12-86 के प्रस्ताव संख्या: 24 के सम्बन्ध में निर्देश दिया गया कि डिटेल्ड वर्किंग, अध्यक्ष महोदय को दिखा दिया जाये तथा प्रस्ताव संख्या: 25 का अनुपालन पूरा किया जाये और प्रस्ताव संख्या: 34 के सम्बन्ध में पवलीसिटी कर दी जाये ।
- §3§ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 24-9-87 के विशेष प्रस्ताव संख्या: 4 के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि अनधिकृत कृषकों के विरुद्ध कार्यवाही हो ।

§4§ जिन निर्णयों के अनुपालन में अब कार्यवाही न किया जाना हो उनको द्वारा बोर्ड के समक्ष रखा जाये ।

§5§ उपसमितियों द्वारा जो भी निरीक्षण किये गये हों उनकी आख्या बोर्ड के समक्ष रखी जानी चाहिये ।

§6§ भाविष्य में महाप्रबन्धक जल संस्थान को भी बैठकों में बुला लिया जाया करे ।

§7§ बोर्ड के पूर्व निर्णयों जिनका अनुपालन न हो पाया हो अथावा जिनके सतत अनुपालन की आवश्यकता हो, अनुपालन पूर्ण होने तक बोर्ड की बैठकों में प्रस्तुत किया जाया करे ।

हो/-
§ शैलेश कृष्ण §
उपाध्यक्ष

हो/-
§ दिवाकर त्रिपाठी §
सचिव

अ नु मो दि त

हो/-
§ वृजेश कुमार §
आयुक्त लखनऊ मण्डल एवं
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण
ल ख न ऊ ।